IV वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और कार्यनिष्पादन

2017-18 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र पर दबाव बने रहने से बड़े प्रावधान करने की जरूरत उत्पन्न हुई। इन दुश्वारियों के बावजूद, बैंक अपनी पूंजी स्थितियों में सुधार लाने में सफल रहे। बैंकों की क्रेडिट वृद्धि बहाल हुई जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र को होने वाले संसाधनों के कुल प्रवाह में बैंक वित्त के हिस्से में सुधार हुआ। आईबीसी ढांचा गति पकड़ रहा है और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचे के साथ यह बैंकों को सक्षम बनाएगा ताकि वे आस्ति ह्रास के खिंचाव से बाहर आते हुए तुलन पत्र के विस्तार को एक मजबूत और अधिक आघात-सह प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ा सकें, जो देश की वित्तीय मध्यस्थता संबंधी भावी आवश्यकताओं के साथ कदम ताल कर सके।

1. परिचय

IV.1 भारत का बैंकिंग क्षेत्र लंबे समय से तुलन पत्र पर दबाव का सामना कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आस्ति गुणवत्ता में लगातार बनी हुई गिरावट के कारण प्रावधानों में तीव्र वृद्धि करना आवश्यक हो गया है और 1993-94 से पहली बार बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), ने घाटा उठाया। विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, बैंकिंग प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए रिज़र्व बैंक ने त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है: आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के चलते दबावग्रस्त आस्तियों की अधिक पूर्णता के साथ पहचान का कार्य पूरा होने के निकट है और नीति संचालित प्रावधानीकरण किया गया है; इसके साथ ही, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की व्यापक पहुंच वाले अधिदेश के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए नया ढांचा लागू करने से तुलन-पत्रों में दबाव तेजी से कम हो रहे हैं; और सरकार ने पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए कदम उठाए हैं ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान की जा सके। इन सुदृढ़ उपायों के परिणामस्वरूप 2018-19 की पहली छमाही में बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है।[1]

IV.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय के भाग 2 में 2017-18 और 2018-19 की पहली छमाही के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर चर्चा की गई है, जो लेखापरीक्षित तुलन पत्रों और ऑफ़-साइट पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित है। इसके बाद भाग 3 और 4 में 93 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)[2] के वित्तीय कार्यनिष्पादन और उनकी वित्तीय सुदृढ़ता का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय के भाग 5 से 11 में जिन अन्य विषयों को शामिल किया गया है उनमें क्षेत्रगत क्रेडिट नियोजन, पूंजी बाजार में एससीबी, एससीबी में स्वामित्व का प्रकार, भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन, भुगतान प्रणालियों का विकास, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण भी भाग 12 से 15 में अलग से किया गया है। विश्लेषण से उभरने वाले प्रमुख मुद्दों को साथ लाते हुए अध्याय समाप्त होता है।

[1] वर्ष 2017-18 और उससे पहले के वर्षों के वार्षिक डेटा बैंकों के वार्षिक लेखा पर आधारित है। जहाँ भी संभव हो सका है, पर्यवेक्षी विवरणियों, क्रेडिट के क्षेत्रवार विनियोजन और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत विवरणियों जैसे अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए डेटा को अद्यतन किया गया है ताकि तिमाही / छमाही रुझानों को ठीक से पहचाना जा सके।

[2] वार्षिक लेखा पर विस्तृत बैंक-वार डेटा का मिलान करते हुए https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों में इसे प्रकाशित किया जाता है।

2. तुलन पत्र विश्लेषण

IV.3 भारत में एससीबी के समेकित तुलन पत्र का आकार 2012-13 से, और 2017-18 में और अधिक दबावग्रस्त आस्तियों के निर्धारण के कारण धीमी रफ्तार से बढ़ता रहा है (चार्ट IV.1)। तथापि, 2018-19 की पहली छमाही के दौरान ऋण बहियों में वसूली के कारण एससीबी के तुलन पत्र में पुन: संवृद्धि होने लगी।

चार्ट IV.1: चुनिंदा एससीबी का समुच्चय

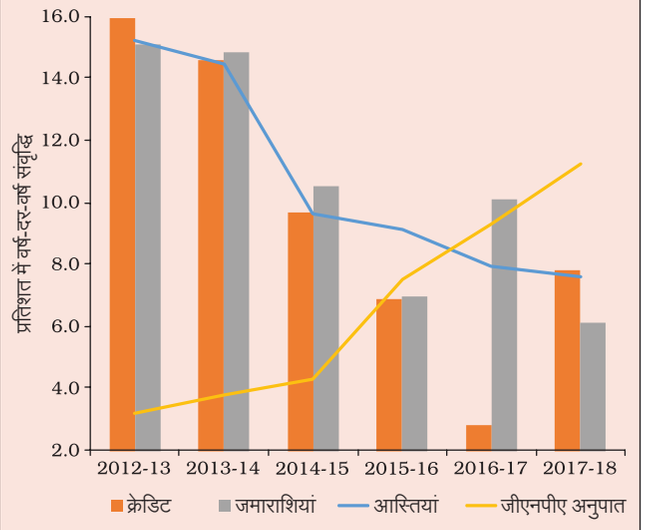

स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखे तथा ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन) आरबीआई।

2.1 जमाराशियां

IV.4 2017-18 के दौरान एससीबी की जमाराशि संवृद्धि पिछले वर्ष के उच्च स्तर से कम हो गई जबकि नवंबर 2016 में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विमुद्रीकरण के बाद इसमें 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी जो कि पिछले तीन वर्षों का अधिकतम स्तर था (सारणी IV.1)। वर्ष 2018-19 की

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक#		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2017*	2018**	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. पूंजी	243	332	110	116	629	679	10	35	993	1,161
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	5,546	5,558	3,709	4,320	840	883	12	37	10,108	10,798
3. जमाराशियां	80,768	82,623	25,648	30,137	4,655	4,949	43	231	111,114	117,940
3.1. मांग जमाराशियां	5,439	5,436	3,871	4,374	1,223	1,435	1	10	10,534	11,255
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	24,738	26,565	7,173	8,737	529	573	11	43	32,451	35,917
3.3. सावधि जमाराशियां	50,591	50,622	14,605	17,026	2,904	2,941	30	178	68,130	70,767
4. उधारियां	7,219	8,470	4,835	6,882	705	1,277	49	194	12,807	16,823
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	3,590	3,368	1,711	1,535	1,417	888	6	20	6,724	5,811
कुल देयताएं/ आस्तियां	**97,366**	**100,352**	**36,014**	**42,989**	**8,246**	**8,676**	**120**	**517**	**141,746**	**152,533**
1. आरबीआई के पास धारित नकद और शेष	4,842	4,485	1,585	2,403	374	400	4	15	6,805	7,303
2. बैंकों के पास धारित शेष और मांग और अल्प सूचना पर उपलब्ध मुद्रा	5,303	3,922	1,300	1,260	760	733	12	33	7,374	5,948
3. निवेश	25,548	27,919	8,551	10,118	2,397	3,126	27	100	36,523	41,263
3.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ (ए+बी)	21,183	23,113	6,317	7,574	2,068	2,598	26	80	29,593	33,365
ए) भारत में	20,946	22,819	6,271	7,514	2,003	2,520	26	80	29,246	32,934
बी) भारत से बाहर	237	294	46	59	65	78	-	-	347	432
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3	2	-	-	-	-	-	-	3	2
3.3 अननुमोदित प्रतिभूतियां	4,362	4,803	2,234	2,545	330	528	1	20	6,926	7,895
4. ऋण एवं अग्रिम	55,572	56,973	22,195	26,628	3,323	3,510	71	349	81,161	87,460
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	2,806	2,342	804	936	706	741	-	-	4,317	4,019
4.2 नकद क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट *आदि*	23,516	24,148	6,307	7,900	1,389	1,445	10	29	31,222	33,521
4.3 मीयादी ऋण	29,251	30,484	15,083	17,792	1,228	1,324	61	320	45,623	49,919
5. स्थायी आस्तियां	1,200	1,100	255	263	48	45	3	10	1,507	1,419
6. अन्य आस्तियां	4,901	5,952	2,128	2,317	1,344	862	3	10	8,376	9,141

टिप्पणियां : 1. -: शून्य/नगण्य।
2. *: आईडीबीआई बैंक और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं।
3. **: आईडीबीआई बैंक शामिल है।
4. #: केवल उन्हीं लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से संबंधित आंकडे सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था। मार्च 2017 के अंत में और मार्च 2018 के अंत में क्रमश: दो और छह अनुसूचित एसएफबी परिचालन कर रहे थे।
5. ₹बिलियन तक संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ उनके संबंधित कुल जोड़ से असमान हो सकता है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

पहली छमाही के दौरान एससीबी की जमाराशि संवृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेजी दर्ज की गई जो विमुद्रीकरण के प्रति समायोजन के पूर्णता की ओर बढ़ना दर्शाता है।

IV.5 एससीबी के पास मौजूद जमाराशि का बड़ा हिस्सा हमेशा सावधि जमा के रूप में रहा है[3] – खासतौर पर एक से दो साल की परिपक्वता अवधि में – इसका कारण तुलनीय वित्तीय आस्तियों के बीच उच्चतर प्रतिलाभ रहा है। हालांकि, वर्ष 2016-17 में स्थिति भिन्न रही, बैंक जमा में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वापस आने से बैंक में चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशि में पिछले पांच साल के औसत की तुलना में पांच प्रतिशतता बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई विशेषत: पीएसवी में (चार्ट IV.2)। वर्ष 2017-18 के दौरान तीव्रता से पुनर्मुद्रीकरण होने से पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) दोनों की सीएएसए जमाराशियों में गिरावट आई। और विदेशी बैंकों (एफबी) के लिए उनमें इज़ाफा हुआ। सावधि जमाराशियां साथ में बढ़ती रहीं, हालांकि अन्य प्रतिस्पर्धी आस्ति वर्गों जैसे म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड की तुलना में सावधि जमा पर प्रतिफल अनाकर्षक बन गए।

चार्ट IV.2: सीएएसए और मीयादी जमाराशियों के रुझान

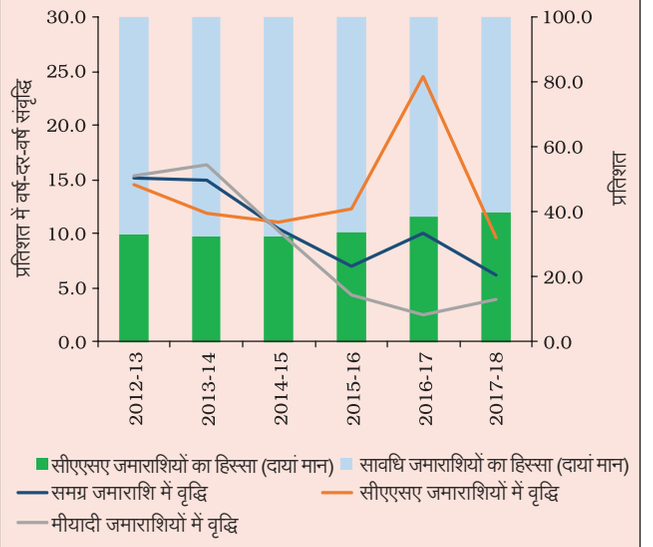

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

2.2 उधारियां

IV.6 पुनर्मुद्रीकरण के फलस्वरूप जमाराशियों में कमी आयी और परिणामत: पिछले साल की तुलना में 2017-18 के दौरान बैंकों की उधारियों में 31.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल इसमें उल्लेखनीय गिरावट (11.6 प्रतिशत) आई थी। पीवीबी और एफबी जो पीएसबी की तुलना में उधारियों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं उन्होंने काफी अच्छी वापसी की (चार्ट IV.3)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में भी बैंकों की उधारियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.3 क्रेडिट

IV.7 वर्ष 2017-18 के दौरान हाल के वर्षों में मौजूद कमजोर स्थितियों की तुलना में क्रेडिट संवृद्धि में बहाली आयी

चार्ट IV.3: उधारियों के रुझाान

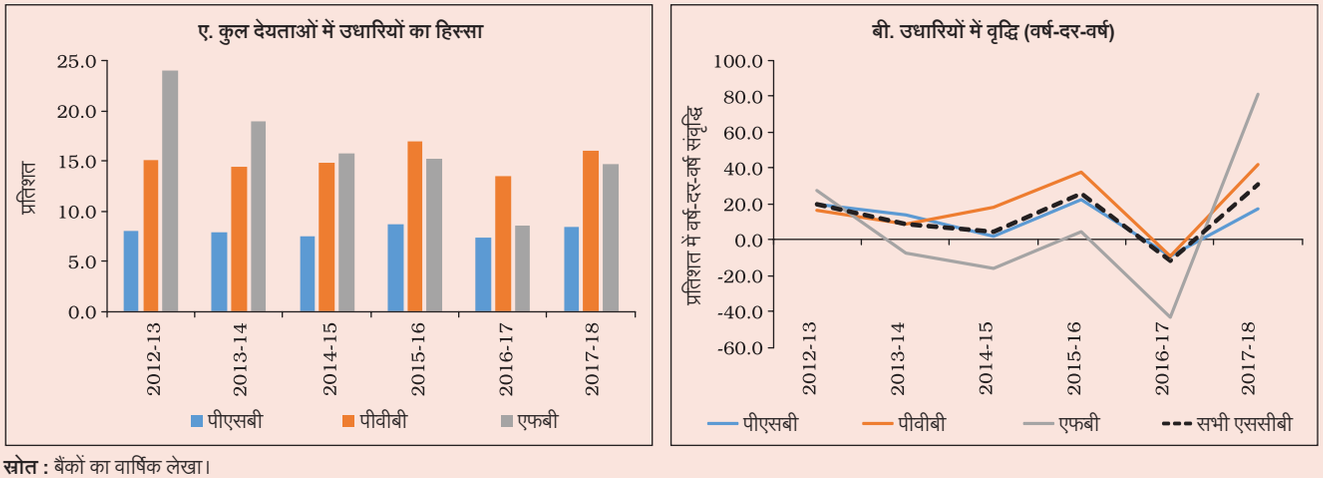

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

[3] वर्ष 2011-16 के दौरान औसत स्तर 66.8 प्रतिशत था।

चार्ट IV.4: अग्रिमों में बैंक समूह-वार वृद्धि

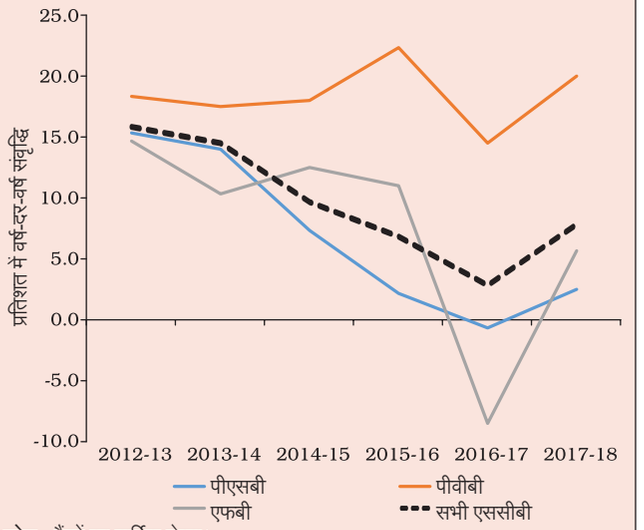

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.5: ऋण-जीडीपी अनुपात

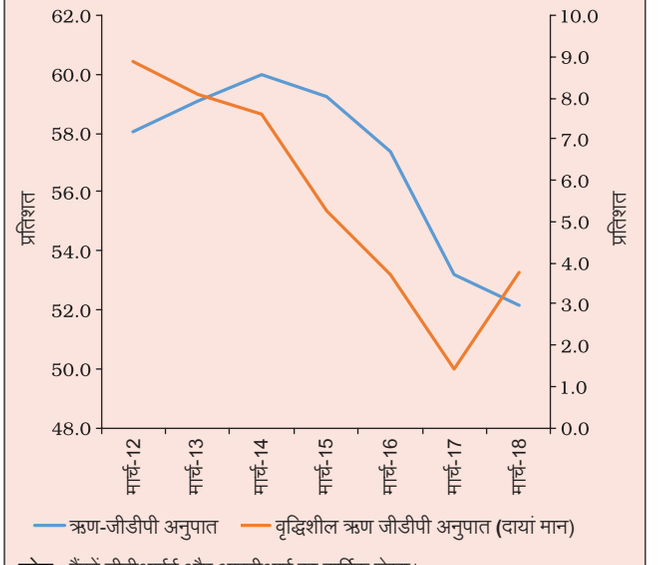

स्रोत : बैंकों,डीबीआईई और आरबीआई का वार्षिक लेखा।

(चार्ट IV.4)[4]। पर्यवेक्षीय विवरणियों पर आधारित हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 की पहली छमाही के दौरान क्रेडिट में वृद्धि बनी रही।

IV.8 इस क्रेडिट बहाली में सभी श्रेणियों के बैंकों - पीएसबी, पीवीबी और एफबी का योगदान रहा (चार्ट IV.4)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, एफबी ने क्रेडिट संवृद्धि में तीव्रतम उछाल दर्ज किया; इसके विपरीत खराब आस्तियों के बोझ तले दबने और प्रावधान की बढ़ी हुई आवश्यकता के कारण पीएसबी की ऋण बहियों में विस्तार बहुत कम हुआ।

IV.9 इसके अनुरुप, वृद्धिशील ऋण जीडीपी अनुपात, जो हाल के वर्षों में लगातार गिर रहा था, में 2017-18 में बहाली आई (चार्ट IV.5)।

IV.10 हाल के वर्षों में कुल बकाया बैंक ऋणों में पीवीबी की भागीदारी निरंतर बढ़ी है फिर भी, वे पीएसबी को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं (चार्ट IV.6ए)। तथापि, वृद्धिशील ऋण प्रवाहों में

चार्ट IV.6: ऋण प्रवाह – घटकों में परिवर्तन

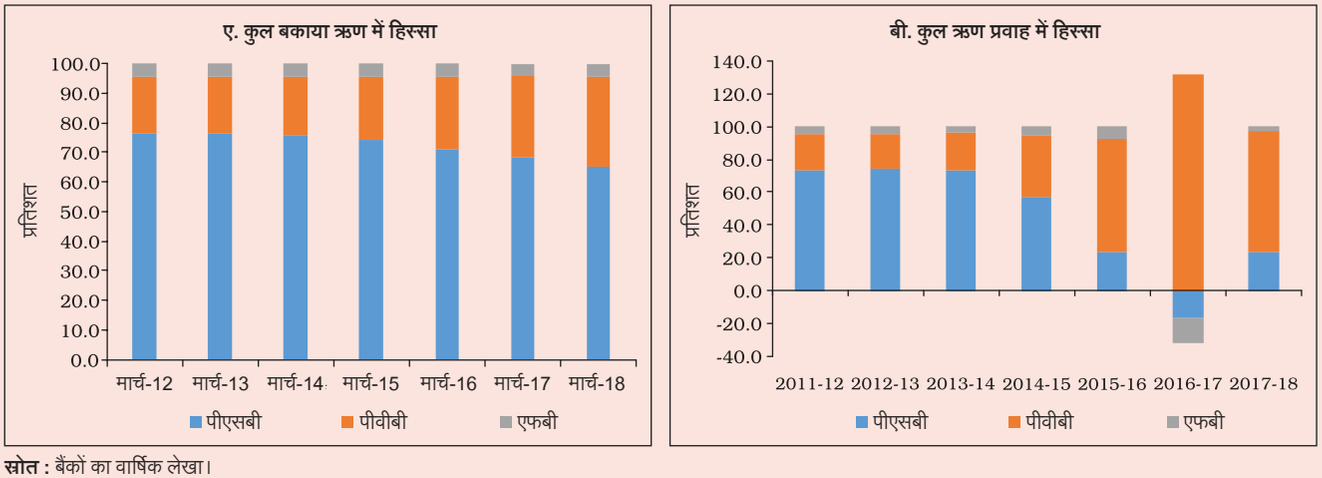

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

[4] बैंकों के वार्षिक लेखा के आधार पर, जो अन्यत्र जैसे पर्यवेक्षी विवरणियों, क्रेडिट के क्षेत्रवार विनियोजन और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत विवरणियों, रिपोर्ट की गयी क्रेडिट संवृद्धि से भिन्न हो सकते है।

हिस्सेदारी के संदर्भ में पीएसबी द्वारा ऋण प्रवाहों कम रहा है जिससे पीवीबी उनसे आगे बढ़ रही हैं (चार्ट IV.6बी)।

IV.11 वर्ष 2016-17 में बैंकों, विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंक जिन क्षेत्रों को ऋण नहीं दे सके थे, उनमें गैर-बैंकों ने पैर जमा लिया हालांकि 2017-18 में पुन: कुछ संतुलन बनता नज़र आया। कॉर्पोरेट बॉन्डों के निर्गमों में आई कमी और वाणिज्यिक दस्तावेजों (सीपी) के निर्गमों में हुई तीव्र गिरावट गैर-बैंक स्रोतों की हिस्सेदारी में आयी कमी में झलकती है। जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा ऋण देने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा किए गए अधिक निभाव, विदेशों से लिए गए अल्पकालिक क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि और गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा लाए गए सार्वजनिक इक्विटी निर्गमों के कारण क्षतिपूर्ति हुई, और इससे गैर-बैंक कंपनियों से आए संसाधानों के प्रवाह में बढ़ोतरी हुई। बैंक-ऋण संवृद्धि लगातार बनी रहने के कारण 2018-19 की पहली छमाही में यह रुझान जारी रहा (सारणी IV.2)।

IV.12 ये गतिविधियां ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात में हुए परिवर्तनों में परिलक्षित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि पीवीबी का

सारणी IV.2: बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का रुझान

(राशि ₹ बिलियन में)

स्रोत	अप्रैल-मार्च				1 अप्रैल से 28 सितंबर	
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
ए. समायोजितगैर खाद्य बैंक ऋण	**5,850**	**7,754**	**4,952**	**9,161**	**1,467**	**3,662**
	(43.5)	**(55.4)**	**(34.1)**	**(44.9)**	**(22.6)**	**(39.2)**
i) गैर खाद्य ऋण	5,464	7,024	3,882	7,959	1,495	3,513
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएलआर निवेश	386	731	1070	1202	-29	149
बी. गैर-बैंकों से प्रवाह (बी1+बी2)	**7,588**	**6,241**	**9,578**	**11,220**	**5,018**	**5,677**
	(56.5)	**(44.6)**	**(65.9)**	**(55.1)**	**(77.4)**	**(60.8)**
बी 1. घरेलू स्रोत	**5,323**	**3,782**	**6,820**	**7,836**	**3,644**	**4,699**
	(39.6)	**(27.0)**	**(46.9)**	**(38.4)**	**(56.2)**	**(50.3)**
1. गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम	87	378	155	438	111	70
2. गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन	1,277	1,135	2,004	1,462	675	712
3. गैर- बैंकों द्वारा अभिदत्त (सीपी) का निवल निर्गमन	558	517	1,002	-254	17	1,872
4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल क्रेडिट	954	1,188	1,374	1,986	739	998
5. आरबीआई द्वारा विनियमित चार एआईएफआई-नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक द्वारा कुल समायोजन	417	472	469	951	147	619
6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसी (निवल बैंक क्रेडिट)	1,629	-277	1,539	2,875	1,785	326
7. कॉर्पोरेट ऋण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	401	369	277	378	169	102
बी 2. विदेशी स्रोत	**2,265**	**2,459**	**2,758**	**3,385**	**1,374**	**977**
	(16.9)	**(17.6)**	**(19.0)**	**(16.6)**	**(21.2)**	**(10.5)**
1. बाह्य वाणिज्यिक उधारियां/ एफसीसीबी	14	-388	-509	-51	-129	-35
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर एडीआर/जीडीआर निर्गम	96	-	-	-	-	-
3. विदेशों से अल्पावधि ऋण	-4	-96	435	896	37	-234*
4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,159	2,943	2,833	2,540	1,466	1,246@
सी . संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**13,438**	**13,995**	**14,530**	**20,381**	**6,485**	**9,339**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणियां : (i) 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अधिक संख्या में सरकारी कंपनियों द्वारा रिपोर्ट करने के कारण एनबीएफसी-एनडी-एसआई से 2017-18 में अधिक निवल क्रेडिट प्रवाह हुआ। 2015- 16 में एनबीएफसी-एनडी-एसआई से ऋणात्मक निवल क्रेडिट प्रवाह हुआ जिसका कारण एनबीएफसी-एनडी-एसआई के वर्गीकरण मानदंडों में परिवर्तन था, जिसके अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत होने के लिए आस्ति आकार ₹एक बिलियन से बढ़ाकर ₹पांच बिलियन या उससे अधिक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दो बडे एनबीएफसी अर्थात बंधन बैंक और आईडीएफसी का बैंक में रूपान्तरण के कारण भी वाणिज्यिक क्षेत्र में 2015-16 में एनबीएफसी के क्रेडिट प्रवाह में गिरावट आई।

(ii) *: जून 2018 तक, @: अगस्त 2018 तक।

(iii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।

(iv) -: शून्य/नगण्य।

स्रोत : आरबीआई, सेबी, बीएसई, एनएसई, व्यापारी बैंक, एलआईसी और एनएचबी।

चार्ट IV.7: बकाया सी-डी अनुपात में रुझान

(मार्च के अंत में)

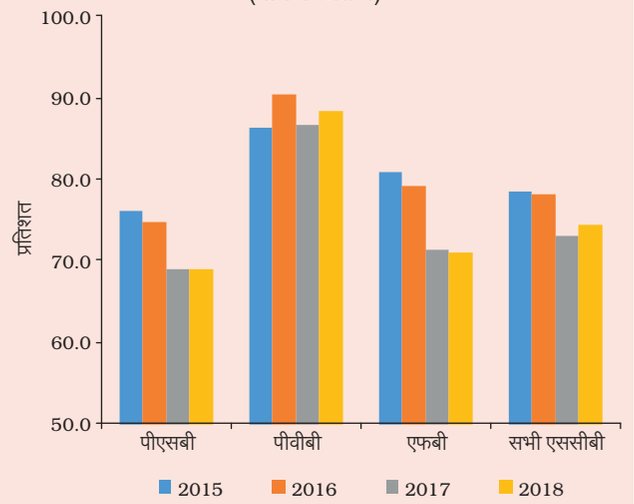

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.8: विभिन्न परिपक्वता अवधि में आस्तियों और देयताओं के अनुपात के बीच अंतर

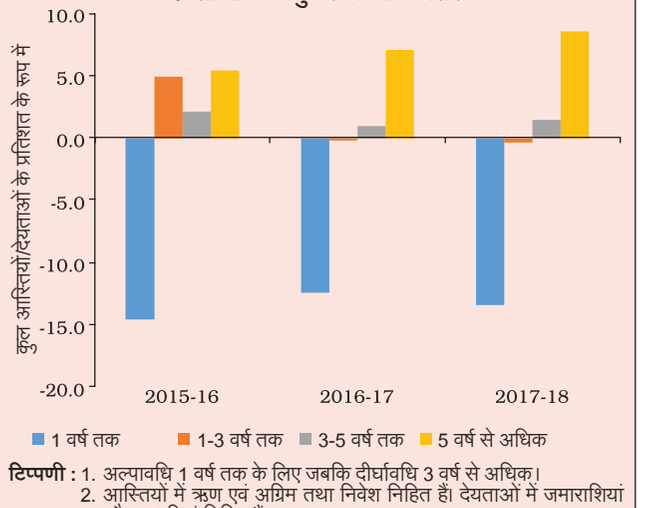

टिप्पणी : 1. अल्पावधि 1 वर्ष तक के लिए जबकि दीर्घावधि 3 वर्ष से अधिक।
2. आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश निहित हैं। देयताओं में जमाराशियां और उधारियां निहित हैं।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

सी-डी अनुपात अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक रहा, जो उनके छोटे जमा-आधार और क्रेडिट में जारी विस्तार का स्पष्ट संकेत है (चार्ट IV.7)। सितंबर 2018 के अंत में, एससीबी के सी-डी अनुपात में एक साल पहले के स्तर से मामूली वृद्धि हुई।

2.4 निवेश

IV.13 निवेश, जो कि बैंकों के तुलन पत्रों के आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक होता है, में तेजी देखी गयी जिसमें मुख्यतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों का दबदबा रहा। तथापि, 2018-19 की पहली छमाही के दौरान निवेश की गति कम रही, इसका मुख्य कारण एसएलआर/अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में पीएसबी के निवेशों में गिरावट आना रहा।

2.5 आस्ति और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल

IV.14 परिपक्वता विसंगतियां बैंकिंग गतिविधि के मूल में होती हैं क्योंकि मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए अल्पावधि जमा राशियों के लीवरेज का उपयोग किया जाता है, परिणामतः चलनिधि और ब्याज दर जोखिम का एक्सपोज़र उत्पन्न होता है। वर्ष 2017-18 में एक वर्ष तक की सबसे छोटी परिपक्वता अवधि में ऋणात्मक अंतर (देयताएं >आस्तियां) देखा गया और तदनुरूपी दीर्घावधि परिपक्वता अवधि में देयताओं की तुलना में आस्ति निर्माण कहीं अधिक होने से धनात्मक अंतराल देखा गया (चार्ट IV.8)।

IV.15 परिपक्वता विसंगतियों में हुई वृद्धि काफी हद तक पीएसबी के कारण थी (सारणी IV.3)।

2.6 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.16 वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत में स्थित बैंकों की कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों में पिछले वर्ष हुई गिरावट की तुलना में पुन: बहाली हुई हालांकि देयताओं की तुलना में दावों में वृद्धि कमतर रही। भारत के कुल बाह्य कर्ज (मूल परिपक्वता) में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत के आस-पास बना रहा (चार्ट IV.9)।

IV.17 अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खातों और विदेशी मुद्रा उधारियों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 में देयताओं में काफी बढ़ोतरी हुई और ब्याज दर अंतराल भारत

सारणी IV.3: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के तहत कुल के प्रतिशत के रूप में)

देयताएं/ आस्तियां	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		सभी एससीबी #	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
ए) 1 वर्ष तक	41.6	44.8	41.5	42.4	63.0	63.0	42.5	45.0
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	27.9	23.2	26.0	25.3	28.9	28.9	27.5	24.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	8.6	10.0	10.5	10.7	8.0	8.0	9.0	10.0
डी) पाँच वर्ष से अधिक	21.9	22.0	21.9	21.6	0.1	0.1	21.0	20.9
II. उधारियां								
ए) 1 वर्ष तक	49.9	60.2	43.9	45.7	84.7	89.1	49.5	56.3
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	12.9	13.4	19.3	22.2	11.8	7.2	15.4	16.9
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	10.4	8.4	13.1	12.9	1.2	2.2	10.9	9.8
डी) पाँच वर्ष से अधिक	26.8	18.0	23.7	19.2	2.3	1.5	24.2	17.0
III. ऋण और अग्रिम								
ए) 1 वर्ष तक	28.3	32.8	32.5	31.9	62.5	59.1	30.9	33.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	34.3	26.3	33.8	33.8	18.4	20.9	33.5	28.4
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	10.6	12.7	12.8	12.8	8.0	8.0	11.1	12.5
डी) पाँच वर्ष से अधिक	26.9	28.2	20.8	21.4	11.2	12.0	24.6	25.5
IV. निवेश								
ए) 1 वर्ष तक	19.8	17.6	46.9	50.7	78.2	81.2	30.0	30.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	14.1	13.0	16.8	16.9	13.1	12.1	14.7	13.9
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	11.8	13.3	8.5	8.6	3.3	2.3	10.5	11.3
डी) पाँच वर्ष से अधिक	54.3	56.2	27.8	23.7	5.4	4.4	44.9	44.2

टिप्पणी : 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ 100 तक नहीं हो सकता है।
2. #: एसएफबी के आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.9: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

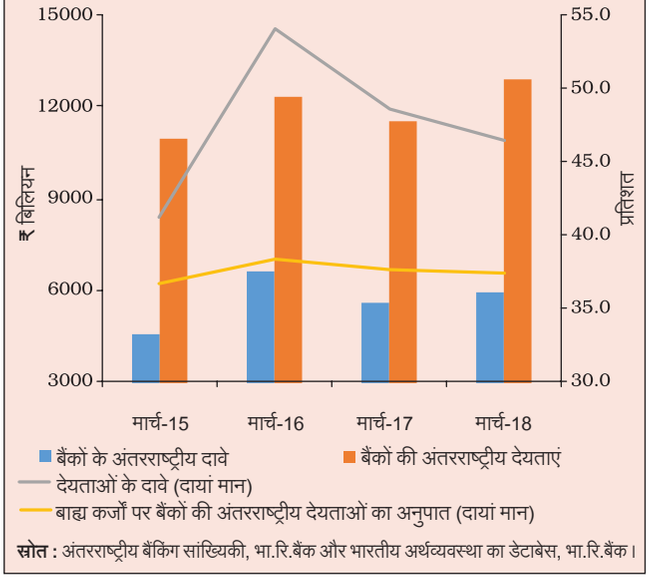

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, भा.रि.बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस, भा.रि.बैंक।

के पक्ष में होने के कारण इसमें तेजी आयी। बैंकों द्वारा अपनी टिअर-I पूंजी को मजबूत करने के साथ ही अनिवासियों की इक्विटी होल्डिंग ने वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं में इजाफा किया (सारणी IV.4)।

IV.18 अनिवासियों को दिए जाने वाले ऋणों में एक वर्ष पूर्व की अपेक्षा कमी आयी परंतु भारतीय बैंकों की कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में इन ऋणों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई जो यह दर्शाती है कि वे आस्ति वृद्धि के प्रमुख कारक बने रहे (सारणी IV.5)।

IV.19 बैंकों के सभी परिपक्वता अवधियों वाले समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में गिरावट आई और वे गैर-वित्तीय निजी और आधिकारिक क्षेत्रों से दूर हटकर बैंकों के पक्ष में आ गए (सारणी IV.6)।

सारणी IV.4: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं – लिखतों के प्रकार के रूप में

(राशि ₹ बिलियन में)

देयता का प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति के अनुसार) अ.		प्रतिशत घट-बढ़	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1. जमा-राशियां और ऋण	**9,027 (78.4)**	**10,020 (77.8)**	**-8.5**	**11.0**
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] योजना	1,343 (11.7)	1,436 (11.2)	-49.8	6.9
b) विदेशी मुद्रा उधारियां *	1,229 (10.7)	1,504 (11.7)	-23.6	22.3
सी) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते	5,100 (44.3)	5,517 (42.9)	26.1	8.2
डी) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया खाते	674 (5.9)	790 (6.1)	12.7	17.2
2. प्रतिभूतियों/ बांडों के स्वयं के निर्गम	**78 (0.7)**	**12 (0.1)**	**6.8**	**-85.1**
3. अन्य देयताएं	**2,410 (20.9)**	**2,841 (22.1)**	**0.8**	**17.9**
जिसमें से:				
ए) एडीआर/जीडीआर	415 (3.6)	452 (3.5)	18.9	9.1
बी) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की ईक्विटी	974 (8.5)	1396 (10.6)	7.8	43.3
सी) भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषण योग्य लाभ और अन्य गैर-श्रेणीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं।	1,021 (8.9)	993 (7.7)	-10.4	-2.8
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**11,515 (100)**	**12,873 (100)**	**-6.6**	**11.8**

टिप्पणियां : 1. अ : अनंतिम।
2. * भारत में और विदेशों से ली गई अंतर-बैंक उधारियां और बैंकों की बाह्य वाणिज्यिक उधारियां।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में है।
4. प्रतिशत अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

IV.20 अमेरिकी डॉलर की ब्याज दरों के मजबूत होने के कारण बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों में भी भौगोलिक परिवर्तन हुए, उदाहरणार्थ जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), हांगकांग और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और सिंगापुर को तरजीह दी गई (सारणी IV.7)।

2.7 तुलन-पत्र से इतर परिचालन

IV.21 निधि-आधारित बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले पीएसबी की तुलना में आकस्मिक देयताओं के प्रति पीवीबी और एफबी का आमतौर पर उच्चतर एक्सपोज़र होता है।

सारणी IV.5: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां – लिखतों के प्रकार के रूप में*

(राशि ₹ बिलियन में)

आस्ति प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति) अ.		प्रतिशत घट-बढ़	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1. ऋण और जमाराशियां	**5,472 (98.0)**	**5,838 (97.6)**	**-16.7**	**6.7**
जिसमें से:				
ए) अनिवासियों को ऋण	1,668 (29.9)	1,965 (32.9)	54.9	17.8
बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	1,546 (27.7)	1,537 (25.7)	-8.1	-0.6
सी) बकाया निर्यात बिल	855 (15.3)	893 (14.9)	-56.8	4.4
डी) हाथ में विदेशी मुद्रा, यात्री चेक *आदि.*	3.5 (0.1)	9.8 (0.2)	743.3	180.6
ई) नोस्ट्रो शेष और विदेशी स्थानन	1,399 (25.1)	1,433 (24.0)	-23.6	2.4
2. कर्ज प्रतिभूतियों की धारिता	**66 (1.2)**	**92 (1.5)**	**8.8**	**39.6**
3. अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**47 (0.9)**	**50 (0.8)**	**29.1**	**5.5**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां *	**5,586 (100)**	**5,980 (100)**	**-16.2**	**7.1**

टिप्पणियां : 1. सभी शाखाओं के अपूर्ण आंकड़ों के कवरेज को ध्याान मे रखते हुए स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी एलबीएस के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का सभी शाखाओं से लिए गए आंकड़ों के साथ कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती।
2. अ: अनंतिम।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ असमान हो सकता है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

इसके अलावा, चूंकि इन लिखतों में एक्सपोज़र के अलग-अलग प्रकार के काउंटर-पार्टी जोखिम प्रोफाइल होते हैं, अत: पीएसबी इनके संबंध में फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके तुलन पत्र में क्रेडिट जोखिम भौतिक रूप से पहले से ही बढ़े हुए हैं (चार्ट IV.10ए)। मार्च 2018 के अंत में, एफबी की तुलनपत्र देयताएं सभी एससीबी के कुल एक्सपोजर का मात्र 5.7 प्रतिशत थीं, लेकिन उनकी आकस्मिक देयताएं बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर का 50.2 प्रतिशत थीं। व्युत्पन्नी उत्पादों में अधिक एक्सपोज़र के फलस्वरूप 2017-18 के दौरान पीवीबी और एफबी की तुलन-पत्र से इतर देयताओं में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ (चार्ट IV.10बी; परिशिष्ट सारणी IV.2)। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में पीवीबी और एफबी के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों में और अधिक बढ़ोतरी हुई जबकि पीएसबी के तदनुरूपी एक्सपोज़र में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कमी आई।

सारणी IV.6: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

अवशिष्ट परिपक्वता /क्षेत्र	बकाया राशि (मार्च अंत तक की स्थिति) अ.		प्रतिशत घट-बढ़	
	2017	2018	2016-17	2017-18
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**7,168 (100)**	**6,371 (100)**	**24.2**	**-11.1**
ए) परिपक्वता-वार				
1. अल्पावधि (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता)	4,529 (63.2)	4,474 (70.2)	2.3	-1.2
2. दीर्घावधि (एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता)	2,605 (36.3)	1,774 (27.8)	99.1	-31.9
3. अनाबंटित	34 (0.5)	123 (1.9)	-15.1	260.0
बी) क्षेत्र-वार				
1. बैंक	1,841 (25.7)	2,084 (32.7)	3.2	13.2
2. आधिकारिक क्षेत्र	657 (9.2)	202 (3.2)	638.8	-69.2
3. गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं	3 -	6 (0.1)	-98.2	91.5
4. गैर-वित्तीय निजी	3,880 (54.1)	3,001 (47.1)	12.7	-22.7
5. अन्य	787 (11.0)	1,079 (16.9)	163.2	37.1

टिप्पणीयां : 1. अ: अनंतिम।
2. - : शून्य/नगण्य।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
4. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ असमान हो सकता है।
5. अवशिष्ट परिपक्वता 'अनाबंटित' में परिपक्वता लागू नहीं (उदाहरणार्थ इक्विटी के लिए) और परिपक्वता की जानकारी उपलब्ध नहीं, शामिल है।
6. आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकरण, सामान्य सरकारी और बहुपक्षीय एजेंसियां आधिकारिक क्षेत्र में शामिल हैं।
7. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय सहकारी और हाउसहोल्ड शामिल हैं, जिसमें हाउसहोल्ड को सेवाएं प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएं, शामिल हैं (एनपीआईएसएच)।
8. अन्य में गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनाबंटित क्षेत्र शामिल है।
9. प्रतिशत घट-बढ़ में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

सारणी IV.7: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(राशि ₹ बिलियन में)

देश	बकाया राशि अ		प्रतिशत घट-बढ़	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**7,168 (100.0)**	**6,371 (100.0)**	**24.2**	**-11.1**
जिसमें से				
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	1,870 (26.1)	2,628 (41.2)	95.0	40.5
2. युनाइटेड किंगडम	427 (6.0)	401 (6.3)	-1.8	-5.9
3. हांग कांग	397 (5.5)	323 (5.1)	-12.5	-18.5
4. सिंगापुर	404 (5.6)	425 (6.7)	20.1	5.2
5. युनाइटेड अरब अमीरात	889 (12.4)	639 (10.0)	6.8	-28.2
6. जर्मनी	121 (1.7)	77 (1.2)	-44.9	-36.3

टिप्पणीयां : 1. अ: अनंतिम।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
3. प्रतिशत घट-बढ़ में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्योओं को ₹बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

3. वित्तीय कार्यनिष्पादन

IV.22 बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर गिरती हुई आस्ति गुणवत्ता और खज़ाना हानि ने वर्ष 2017-18 के दौरान असर डाला जिससे उनकी ब्याज से इतर कमाई प्रभावित हुई।

3.1 आय

IV.23 वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज आय मंद बनी रही, जहां एक ओर प्रतिफलों के कम होने से जी-सेक पोर्टफोलिओ

चार्ट IV.10: बैंकों की तुलन पत्र और तुलन पत्रेतर देयताएं

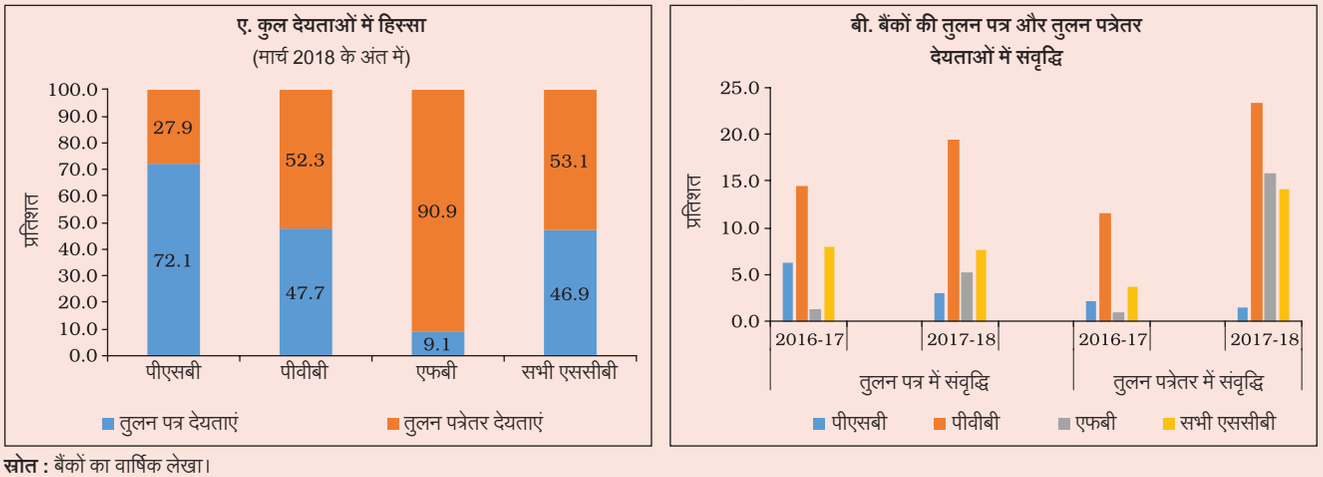

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय के रुझान

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2016-17		2017-18	
	राशि	प्रतिशत घट-बढ़	राशि	प्रतिशत घट-बढ़
1. आय	12,053	6.2	12,176	1.0
ए) ब्याज आय	10,120	2.1	10,220	1.0
बी) अन्य आय	1,933	34.2	1,956	1.2
2. व्यय	11,614	5.5	12,500	7.6
ए) बढ़ा हुआ ब्याज	6,692	0.5	6,535	-2.3
बी) परिचालन व्यय	2,484	10.2	2,716	9.3
जिसमें से: वेतन बिल	1,276	6.8	1,326	3.9
सी) प्रावधान और आकस्मिकताएं	2,438	16.4	3,249	33.3
3. परिचालन लाभ	2,877	18.1	2,925	1.7
4. निवल लाभ	439	28.6	-324	–
5. निवल ब्याज आय (एनआईआई) (1ए-2ए)	3,428	5.5	3,685	7.5
6. निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईआई)	2.5		2.5	

टिप्पणियां : 1. एसएफबी के आंकड़े शामिल हैं।
2. प्रतिशत घट-बढ़ में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

में बाजार मूल्य पर हानि हेतु उच्चतर प्रावधान आवश्यकताओं ने ब्याज से इतर आय को कम कर दिया और दूसरी ओर तुलन-पत्र से इतर परिचालनों से होने वाली आय में भी कमी आयी (सारणी IV.8)।

3.2 खर्च

IV.24 खर्चों की बात करें तो, जमाराशि वृद्धि में आई मंदी और ब्याज दरों में गिरावट के कारण एससीबी द्वारा किए गए ब्याज खर्च में पिछले एक वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट आयी। इसने निवल ब्याज आय (एनआईआई) को बढ़ाया हालांकि औसत आस्तियों में हल्की वृद्धि के कारण निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) अप्रभावित बना रहा।

IV.25 परिचालन खर्च में संवृद्धि मोटे तौर पर 2016-17 की तरह ही बनी रही, हालांकि बैंक शाखाओं को युक्तिसंगत बनाने से वेतन बिल में कमी आयी। युक्तिसंगत बनाना सही दिशा में उठाया गया कदम हो सकता है।

3.3 प्रावधानीकरण और लाभप्रदता

IV.26 जीएनपीए के ऊंचे स्तरों और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत चूक के बड़े खातों को समयबद्ध रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के पास संदर्भित करने के कारण 2017-18 में ऋण हानि हेतु प्रावधान में तीव्र बढ़ोतरी हुई। तदनुसार, बैंक समूहों में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ और 2018-19 की पहली छमाही में सभी एससीबी के लिए यह 52 प्रतिशत से अधिक था। फिर भी, तीन बैंक समूहों के बीच पीएसबी के पीसीआर सबसे कम थे (चार्ट IV.11)।

IV.27 उच्चतर प्रावधानों के परिणामस्वरूप, पीएसबी को ₹854 बिलियन की निवल हानि हुई, जबकि पीवीबी और एफबी ने निवल मुनाफा दर्ज करना जारी रखा। वर्ष 2015-16 के बाद से पीएसबी द्वारा किए गए प्रावधानों में निरंतर बढ़ोतरी हुई है जो उनके परिचालन लाभ अथवा कर पूर्व आय और प्रावधान (ईबीपीटी) से हमेशा अधिक रहा है जिसके परिणामस्वरूप निवल हानियां हुई (चार्ट IV.12) हैं।

IV.28 वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान उधारी दरों में वृद्धि होने से एससीबी की निवल ब्याज आय में बढ़ोतरी हुई क्योंकि ब्याज पर हुए खर्च की तुलना में ब्याज आय में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, खजाना हानि के कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गैर-

चार्ट IV.11: प्रावधान कवरेज अनुपात

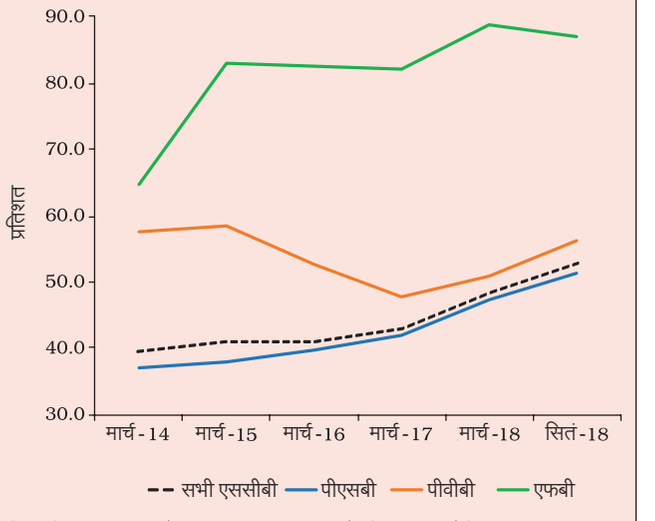

टिप्पणी : प्रावधान कवरेज अनुपात - बट्टा–खाता के लिए असमायोजित।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.12: प्रावधानीकरण और लाभप्रदता

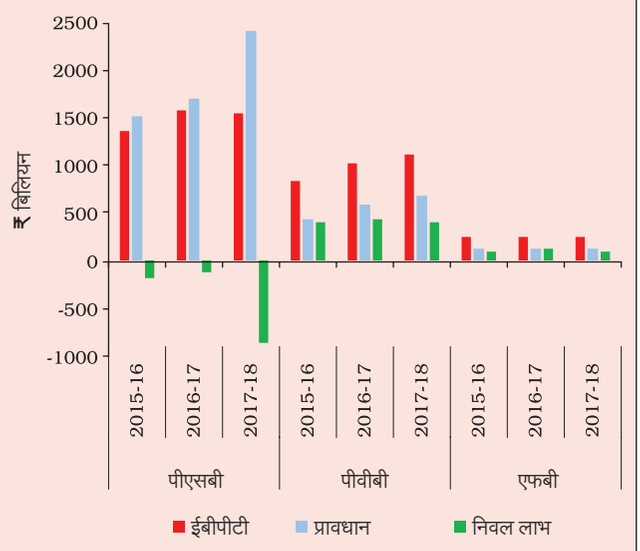

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

ब्याज आय में कमी आई है। परिचालन खर्च लगभग 10 प्रतिशत की औसत दर से निरंतर बढ़ रहा है जिससे परिचालनगत लाभ संवृद्धि में मामूली कमी आ रही है। पीएसबी द्वारा किए उच्चतर प्रावधानीकरण के फलस्वरूप 2018-19 की पहली छमाही के दौरान समग्र रूप में एससीबी को निवल हानि हुई।

IV.29 वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न बैंक समूहों के आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ

सारणी IV.9: एससीबी की आस्तियों पर प्रतिफल और ईक्विटी पर प्रतिफल – बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियों पर प्रतिफल		ईक्विटी पर प्रतिफल	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
सरकारी क्षेत्र के बैंक	-0.1	-0.8	-2.0	-14.6
निजी क्षेत्र के बैंक	1.3	1.1	11.9	10.1
विदेशी बैंक	1.6	1.3	9.1	7.2
सभी एससीबी	0.4	-0.2	4.2	-2.8

टिप्पणियां : 1. आस्तियों पर प्रतिफल = बैंक समूहों के लिए आस्तियों पर प्रतिफल समूह में एकल बैंक की आस्तियों पर प्रतिफल के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है, भार का तात्पर्य है समान बैंक समूह में सभी बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में बैंक की कुल आस्तियों के अनुपात का प्रतिशत।
2. ईक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल इक्विटी

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

(आरओई) में गिरावट आई। समग्र रूप में ये अनुपात एससीबी के लिए ऋणात्मक हो गए। निवल लाभ में कमी के कारण पीएसबी को आरओई में उल्लेखनीय ह्रास का समाना करना पड़ा (सारणी IV.9)। इसके साथ ही 2018-19 की पहली छमाही के दौरान सभी एससीबी का आरओए और आरओई ऋणात्मक बना रहा।

IV.30 निधियों की लागत और प्रतिफलों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित स्प्रेड पिछले वर्ष के समान स्तर पर ही बना रहा, हालांकि पीवीबी और एफबी के संबंध में इसमें मामूली वृद्धि हुई (सारणी IV.10)।

सारणी IV.10: बैंक समूह-वार निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल

(प्रतिशत)

बैंक समूह/ वर्ष		जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेशों पर प्रतिफल	निधियों पर प्रतिफल	स्प्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
पीएसबी	2016-17	5.7	4.8	5.6	8.4	7.5	8.2	2.5
	2017-18	5.1	4.7	5.1	7.8	7.1	7.5	2.5
पीवीबी	2016-17	5.6	6.6	5.8	10.0	7.5	9.3	3.5
	2017-18	4.9	6.2	5.2	9.5	6.9	8.8	3.6
एफबी	2016-17	4.2	4.3	4.2	8.8	6.8	7.9	3.7
	2017-18	3.8	3.0	3.7	8.1	6.6	7.4	3.7
सभी एससीबी	2016-17	5.6	5.4	5.6	8.9	7.4	8.4	2.8
	2017-18	5.0	5.3	5.1	8.3	7.0	7.9	2.8

टिप्पणियां : 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज/ वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज – जमाराशियों पर ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्ष की उधारियों का औसत
3. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज /(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों और उधारियों का औसत)
4. अग्रिमों पर प्रतिफल = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत
5. निवेशों पर प्रतिफल = निवेशों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत
6. निधियों पर प्रतिफल = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों और निवेशों का औसत)
7. 2016-17 और 2017-18 दोनों के आंकड़ों में एसएफबी शामिल हैं।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.31 सुदृढ़ता संकेतक बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य के बैरोमीटर हैं। वर्ष 2017-18 और 2018-19 (सितंबर 2018 तक) के दौरान, एनपीए अनुपात में वृद्धि के बावजूद पूंजी पर्याप्तता विनियामकीय आवश्यकताओं से ऊपर बनी रही। लीवरेज और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में भी सुधार हुआ।

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.32 वर्ष 2017-18 के दौरान बासेल III के चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ एससीबी के जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी में बढ़ोतरी हुई। उच्चतर प्रावधान आवश्यकताओं के अलावा, आंशिक रूप से बैंक इंड-एएस के क्रियान्वयन की प्रत्याशा में पूंजी बढ़ा रहे हैं, जिसमें ट्रिगर घटनाओं की प्रतीक्षा करने के बजाय ऋण की उत्पत्ति के समय से ही संभावित क्रेडिट हानि का प्रावधान करना आवश्यक होगा। सभी बैंक समूहों में पूंजी की स्थिति अच्छी बनी रही और यह मार्च 2018 के लिए अपेक्षित 10.875 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित) की विनियामकीय आवश्यकता के स्तर से ऊपर रही। जहां पीवीबी और एफबी के सीआरएआर में सुधार जारी रहा वहीं आस्ति गुणवत्ता में लगातार गिरावट और हो रही हानि के कारण पीएसबी की पूंजी स्थिति खराब हुई (सारणी IV.11)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान पीएसबी और एफबी से प्रेरित होकर सभी एससीबी के सीआरएआर में मामूली गिरावट आई। पीवीबी के सीआरएआर की स्थिति अपरिवर्तित रही।

IV.33 जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में गिरावट के बावजूद 2017-18 के दौरान पीएसबी की टिअर I पूंजी अनुपात में मामूली गिरावट आई; अन्य बैंक समूहों के मामले में इस अनुपात में सुधार हुआ। हालांकि, 2018-19 की पहली छमाही में पीएसबी के अतिरिक्त एफबी की टिअर I पूंजी अनुपात में भी गिरावट आई जबकि पीवीबी के मामले में इसमें सुधार दर्ज किया गया।

IV.34 सरकार ने समय-समय पर पीएसबी में पूंजी डाली है ताकि बैंक विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा कर सकें और क्रेडिट संवृद्धि में सहायता मिले। अक्तूबर 2017 में पीएसबी के पुन: पूंजीकरण के लिए ₹2.1 ट्रिलियन राशि के पैकेज की घोषणा की गई थी। सरकार ने 2017-18 में ₹881 बिलियन प्रदान किया जिसमें से ₹523 बिलियन 11 पीएसबी को आवंटित किए गए थे जिन्हें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अधीन रखा गया है। शेष ₹358 बिलियन की राशि नौ गैर-पीसीए वाले पीएसबी को आवंटित की गई। सरकार ने 2028 से 2033 तक की विभिन्न परिपक्वता तारीखों वाले पुनर्पूंजीकरण बांडों पर 7.35 -7.68 प्रतिशत के दायरे में कूपन दरों को तय किया। इन बांडों को किसी भी सीमा के बिना पीएसबी द्वारा 'परिपक्वता तक धारित' निवेश की श्रेणी में धारित किया जाएगा। वे सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के अंतर्गत गणना हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे और उनका व्यापार नहीं किया जा सकेगा। सरकार द्वारा पूंजी डालने के अतिरिक्त बैंकों से यह आशा की गयी थी कि वे बाजार से ₹580 बिलियन की राशि जुटाएंगे, यह कार्य अभी अपूर्ण है। वर्ष 2018-19 के लिए ₹650 बिलियन के पूंजीकरण की योजना बनाई गयी थी जिसे 20 दिसंबर 2018 को और अधिक बढ़ाकर ₹1,060 बिलियन

सारणी IV.11: एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ बिलियन में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एससीबी	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. पूंजीगत निधियां	**7,047**	**6,578**	**4,239**	**5,157**	**1,373**	**1,487**	**12,659**	**13,221**
i) टिअर I पूंजी	5,480	5,270	3,643	4,470	1,292	1,407	10,414	11,147
ii) टिअर II पूंजी	1,567	1,308	596	687	81	80	2,245	2,074
2. जोखिम भारित आस्तियां	**58,053**	**56,414**	**27,289**	**31,383**	**7,335**	**7,799**	**92,677**	**95,596**
3. सीआरएआर (2 के प्रतिशत के रूप में 1)	**12.1**	**11.7**	**15.5**	**16.4**	**18.7**	**19.1**	**13.7**	**13.8**
जिसमें : टिअर I	9.4	9.3	13.3	14.2	17.6	18.0	11.2	11.7
टिअर II	2.7	2.3	2.2	2.2	1.1	1.0	2.4	2.2

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

कर दिया गया। इसका उद्देश्य है विनियामकीय पूंजी मानदण्डों को पूरा करना तथा समामेलित हो रहे बैंकों को विनियामक और संवृद्धि पूंजी प्रदान कर उन्हें सुदृढ़ बनाना है।

4.2 लीवरेज अनुपात

IV.35 कुल एक्सपोज़र (तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर सहित) की तुलना में टिअर 1 पूंजी अनुपात को लीवरेज अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह परोक्ष उपाय के रूप में जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं का पूरक है। इसे जोखिम भारित पूंजी अनुपात की तुलना में कहीं अधिक प्रतिचक्रीय माना जाता है और इसका उद्देश्य प्रणाली में बने लीवरेज को सीमित रखना है। मार्च 2018 के अंत में, एससीबी का लीवरेज अनुपात 6.7 प्रतिशत था। यह 1 जनवरी 2018 से प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा पिलर 1 के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत की अपेक्षा और रिज़र्व बैंक के 4.5 प्रतिशत के निगरानी स्तर से भी अधिक है। पीएसबी के लिए यह पीवीबी और एफबी की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में, पीएसबी और एफबी के लीवरेज अनुपात में जहां गिरावट आई, वहीं पीवीबी के संदर्भ में इसमें मामूली बढ़त हुई, इसके परिणामस्वरूप सभी एससीबी के लीवरेज अनुपात में गिरावट हुई (चार्ट IV.13)।

चार्ट IV.13: लीवरेज अनुपात

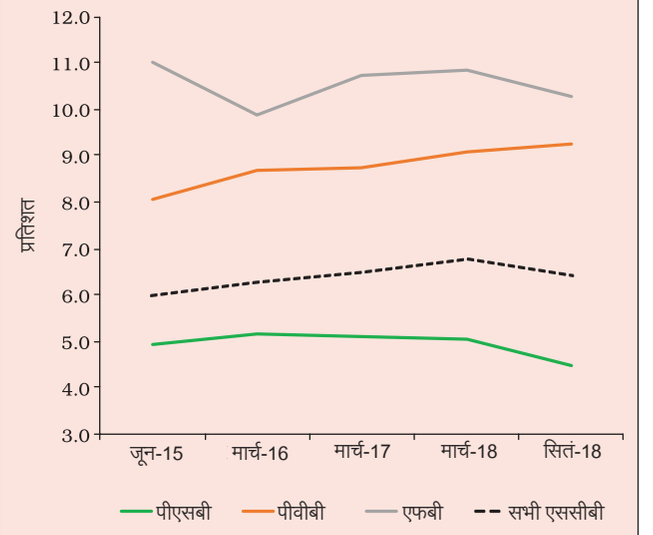

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

4.3 चलनिधि कवरेज अनुपात

IV.36 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का उद्देश्य किसी बैंक की चलनिधि प्रोफाइल की अल्पावधि आघात सहनीयता को बढ़ावा देना है, अर्थात् उनके पास 30 दिन की दबावग्रस्त निधीयन परिदृश्य का सामना करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हों। बासेल III प्रक्रिया के तहत, एससीबी को 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100 प्रतिशत एलसीआर हासिल करना होगा। वर्तमान में बैंकों को एसएलआर से कुल कार्व-आउट एचक्यूएलए स्तर 1 के रूप में उपलब्ध है, एसएलआर की गणना के प्रयोजन से बैंकों द्वारा न्यूनतम एसएलआर-अपेक्षा से अधिक धारित सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 15% प्रतिशत है। इसके अलावा, बैंकों को एनबीएफसी को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 से प्रत्येक बैंक के एनडीटीएल से 0.5 प्रतिशत तक और निकालने की अनुमति दी[5]। वर्ष 2017-18 और 2018-19 की पहली छमाही के दौरान एससीबी ने अपने एलसीआर स्थिति में और सुधार किया तथा बासेल III की अपेक्षाओं से बहुत अधिक पर उसे बरकरार रखा। एफबी ने सबसे ज्यादा एलसीआर बनाए रखा और उसके बाद पीएसबी एवं पीवीबी थे (चार्ट IV.14)।

चार्ट IV.14: चलनिधि कवरेज अनुपात

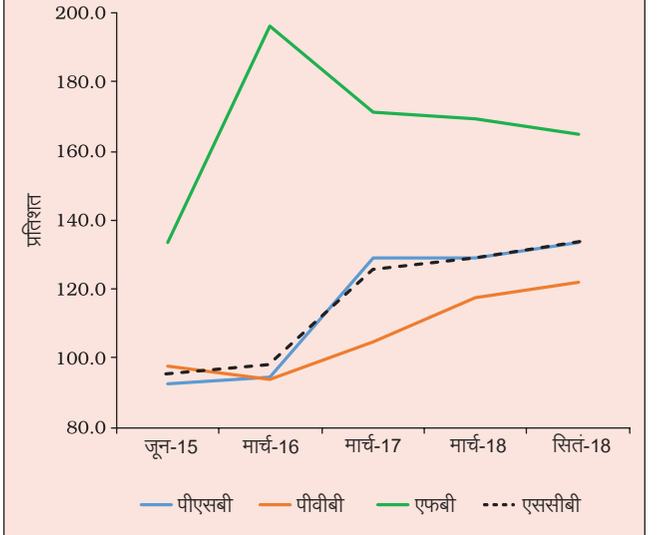

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

[5] ब्यौरे के लिए कृपया अध्याय III देखें।

4.4 निवल स्थिर निधीयन अनुपात

IV.37 एलसीआर के विपरीत, निवल स्थिर-निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य दीर्घ अवधि में चलनिधि विसंगतियों में कमी लाना सुनिश्चित करना है, जिसके लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे भावी निधीयन दबावों को कम करने हेतु समुचित स्थिर स्रोतों से अपनी गतिविधियों का वित्तपोषण करें। रिजर्व बैंक द्वारा एनएफएसआर से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश 17 मई, 2018 को जारी किए गए थे, जिसे 1 अप्रैल 2020 से कार्यान्वित किया जाएगा।

4.5 अनर्जक आस्तियां

IV.38 भारतीय बैंकों, विशेषकर, पीएसबी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट का पता 2006-11 की ऋण तेजी से लगाया जा सकता है जब बैंकों के ऋण 20 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से बढ़े। आस्ति गुणवत्ता में इस गिरावट में योगदान करने वाले अन्य घटक शिथिल ऋण मूल्यांकन एवं मंजूरी के बाद के निगरानी मानक; परियोजना में देरी तथा लागत बढ़ना; और मई 2016 तक मजबूत दिवाला व्यवस्था का अभाव होना।

IV.39 वर्ष 2017-18 के दौरान, पुनर्रचित अग्रिमों का एनपीए बन जाना और बेहतर एनपीए निर्धारण की वजह से जीएनपीए अनुपात पीएसबी के लिए 14.6 प्रतिशत तक पहुँच गया। पीवीबी के मामले में, यह बहुत कम स्तर पर रहा किन्तु वर्ष के दौरान बढ़ा था। एफबी की अस्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ (चार्ट IV.15)। पर्यवेक्षी डेटा से संकेत मिलता है कि 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, कुछ बड़े एनपीए खातों के समाधान का परिणाम यह हुआ कि एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ।

IV.40 पीवीबी के द्वारा अधिक राशियां बट्टे खाते डालकर और बेहतर वसूली के माध्यम से अपने तुलन-पत्रों को दुरुस्त करने करने के दृढ़ प्रयासों से भी जीएनपीए अनुपात कम हुआ है (चार्ट IV.16)। पर्यवेक्षी विवरणियों के आंकड़ों से 2018-19 की पहली छमाही के दौरान सभी बैंक समूहों में जीएनपीए की तुलना में बट्टे खाते के अनुपात में कमी और वास्तविक वसूली में सुधार का पता चलता है।

IV.41 निवल एनपीए अनुपात के मामले में, वर्ष 2017-18 के दौरान पीएसबी ने उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया (सारणी IV.12)।

IV.42 वर्ष के दौरान, कुल जीएनपीए में संदिग्ध अग्रिमों की हिस्सेदारी भारी मात्रा में बढ़ गयी जो पीएसबी द्वारा चालित थी। आक्रामक रूप से बट्टे खाते डालने का असर यह हुआ कि पीवीबी के जीएनपीए में अवमानक और हानि आस्तियों

चार्ट IV.15: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

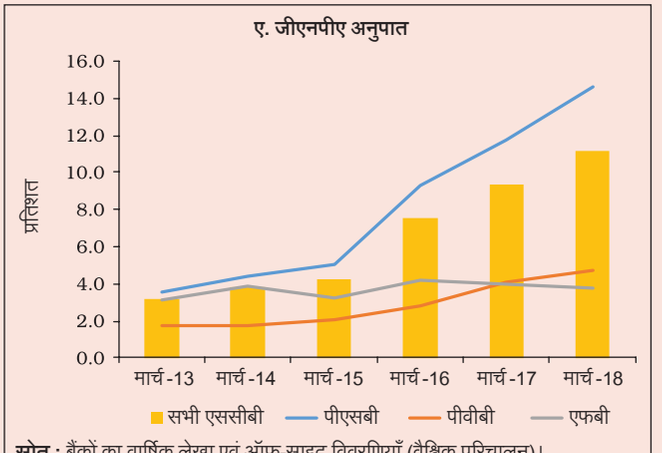

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा एवं ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन)।

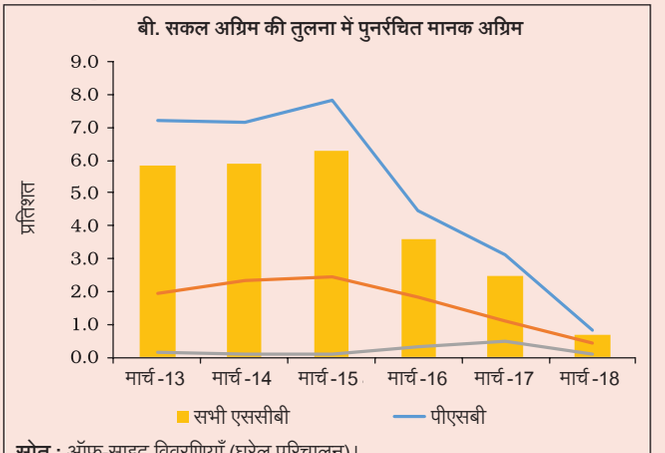

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन)।

चार्ट IV.16: एससीबी द्वारा बट्टे खाते डालना और जीएनपीए में कमी

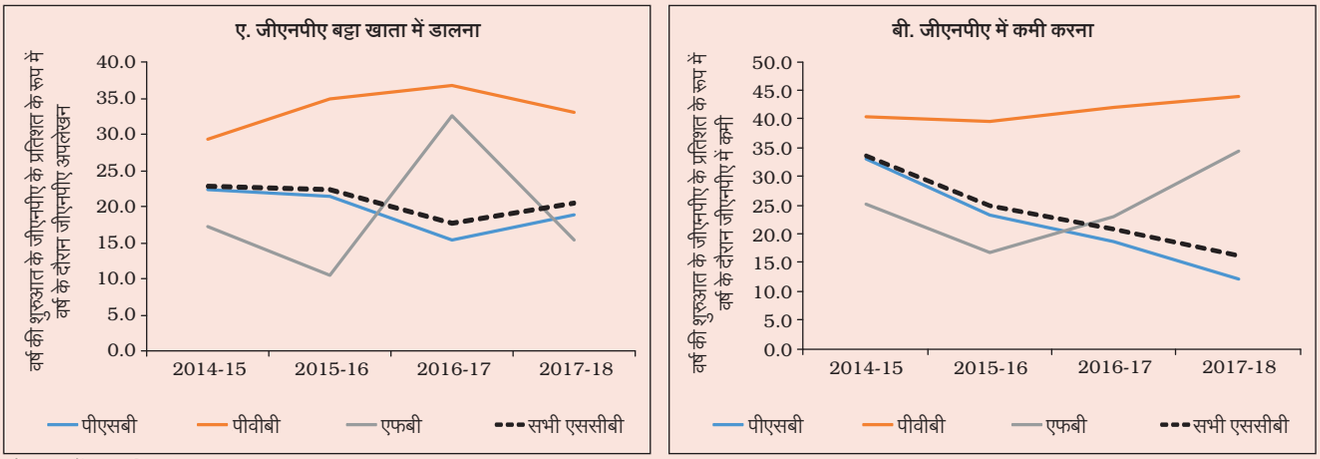

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

की हिस्सेदारी कम हो गयी (तालिका IV.13)। 2018-19 की पहली छमाही के दौरान एससीबी के अवमानक एवं संदिग्ध अग्रिमों की हिस्सेदारी में कमी आई जबकि उनकी हानि आस्तियां आंशिक रूप से बढ़ गईं।

सारणी IV.12: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति – बैंक समूह-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	पीएसबी*	पीवीबी	एफबी	सभी एससीबी
सकल एनपीए				
2016-17 के लिए अंतिम शेष	6,847^	932	136	7,918
2017-18 के लिए प्रारम्भिक शेष	6,192^	932	136	7,265
वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि	4,882^	1,077	70	6,043
वर्ष 2017-18 के दौरान की गयी वसूली	823	408	47	1,283
वर्ष 2017-18 के दौरान बट्टा खाता डाला	1,295	308	21	1,627
2017-18 के लिए अंतिम शेष	8,956	1,293	138	10,397
सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**				
2016-17	11.7	4.1	4.0	9.3
2017-18	14.6	4.7	3.8	11.2
निवल एनपीए				
2016-17 के लिए अंतिम शेष	3,831	478	21	4,331
2017-18 के लिए अंतिम शेष	4,545	642	15	5,207
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए				
2016-17	6.9	2.2	0.6	5.3
2017-18	8.0	2.4	0.4	6.0

टिप्पणियां : 1. *: इसमें आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

2. #: अनुसूचित एसएफबी के आंकड़े शामिल हैं। मार्च 2017 के अंत और मार्च 2018 के अंत तक क्रमशः दो एवं छह अनुसूचित एसएफबी परिचालन में थे।

3. **: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा से सकल एनपीए और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से सकल अग्रिम को मिलाकर गणना की गयी।

4. ^2017-18 के लिए पीएसबी की प्रारम्भिक शेष 2016-17 के अंतिम शेष के साथ मेल नहीं खा रहा है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण को 'वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

IV.43 पर्यवेक्षी विवरणियों से पता चलता है कि पीएसबी की दबावग्रस्त आस्तियाँ तो बढ़े हुए स्तर पर थीं ही, वर्ष 2017-18 के दौरान चूक के नए मामले भी समाने आए जबकि पिछले वर्ष इनमें कमी देखी गयी थी। इसके लिए मुख्य रूप से पुनर्रचित अग्रिमों का एनपीए बनना और मानक अग्रिमों में कमी आना जिम्मेदार था। पीवीबी के मामले में गिरावट मामूली थी। पर्यवेक्षी विवरणियों के तिमाही आंकड़ों से पता चलता है कि सभी बैंक समूहों में नई गिरावट में 2018-19 की पहली छमाही के दौरान काफी कमी आई है।

IV.44 वर्ष 2017-18 के दौरान बड़े उधारी खातों (₹50 मिलियन और उससे अधिक जोखिम वाले) से होने वाला पीएसबी का जीएनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 18.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 23.1 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, पीवीबी के बड़े उदार खातों से उत्पन्न जीएनपीए अनुपात में भी इजाफा हुआ, विशेषकर 12 फरवरी 2018 से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संशोधित फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के बाद। तथापि दोनों बैंक समूहों के मामले में विशेष उल्लेख खातों (एसएमए – 2), जिसके एनपीए होने की गुंजाइश बहुत अधिक है, की हिस्सेदारी में भी गिरावट दर्ज की गयी। 2018-19 की

सारणी IV.13: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार
(मार्च अंत तक)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अव-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *
पीएसबी#	2017	45,012	87.5	1,641	3.2	4,603	9.0	167	0.3
	2018	46,021	84.5	2,053	3.8	5,936	10.9	465	0.9
पीवीबी	2017	20,310	96.5	244	1.2	429	2.0	65	0.3
	2018	24,506	96.0	272	1.1	700	2.7	52	0.2
एफबी	2017	3,302	96.0	40	1.2	82	2.4	14	0.4
	2018	3,495	96.2	38	1.1	84	2.3	16	0.4
सभी एससीबी	2017	68,624	90.4	1,925	2.5	5,114	6.7	247	0.3
	2018	74,022	88.5	2,364	2.8	6,720	8.0	534	0.6

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल जोड़ से असमान हो सकता है।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. #: इसमें आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
4. **: इस डेटा में एसएफबी को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

पहली छमाही के दौरान, पीएसबी एवं पीवीबी के बड़े उधारी खातों में एनपीए कम हुआ; हालांकि, कुल ऋण में एसएमए-2 ऋण के अनुपात में भी इजाफा दर्ज किया गया (चार्ट IV.17)।

IV.45 यद्यपि वर्ष 2017-18 के दौरान कुल एनपीए में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए की हिस्सेदारी आंशिक रूप से कम हुई, तथापि यह अभी भी कुल एनपीए का पांचवां भाग था (सारणी IV.14)।

IV.46 क्षेत्र-वार देखें तो औद्योगिक क्षेत्र कुल ऋणों और अग्रिमों का 37.3 प्रतिशत प्राप्त करता है, लेकिन कुल एनपीए में इसका योगदान लगभग तीन-चौथाई है। वर्ष 2017-18 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता मुख्य रूप से बेहतर निर्धारण के कारण बिगड़ गई। कृषि क्षत्र के जीएनपीए में मामूली वृद्धि हुई जिससे संभवत: अनेक राज्यों द्वारा की गयी कर्ज माफी का संकते मिलता है। 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, कुछ बड़े खातों के समाधान के कारण औद्योगिक एनपीए में मामूली कमी आई। साथ ही, कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की आस्ति गुणवत्ता और खराब हो गई। खुदरा ऋणों में ऋण चूक कम स्तर पर रही (चार्ट IV.18ए)। आकार के हिसाब से, बड़े उद्योगों को दिए गए ऋण का चौथाई हिस्सा मार्च 2018 के अंत तक एनपीए में बदल गया। वर्ष 2017-18 के दौरान

चार्ट IV.17: बड़े उधार खातों में दबाव

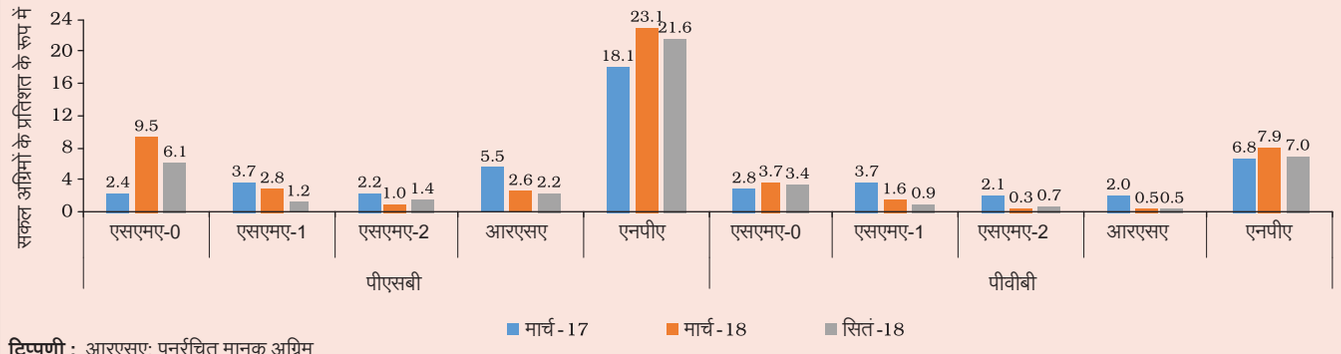

टिप्पणी : आरएसए: पुनर्रचित मानक अग्रिम
एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय नहीं था, लेकिन खाते में प्रारंभिक दबाव के लक्षण दिखाई दिए;
एसएमए -1, जहां 31-60 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय था;
एसएमए -2, जहां 61-90 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय था;

स्रोत : बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

सारणी IV.14: बैंकों का क्षेत्र-वार एनपीए
(मार्च अंत तक)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		जिसमें						गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#
पीएसबी*												
2017	1,543	24.1	548	8.5	757	11.8	238	3.7	4,868	75.9	6,411	100
2018	1,875	22.2	753	8.9	821	9.7	301	3.6	6,580	77.8	8,455	100
पीवीबी												
2017	133	18.0	53	7.2	64	8.7	16	2.2	605	82.0	738	100
2018	184	18.0	78	7.6	80	7.8	26	2.6	840	82.0	1,024	100
एफबी												
2017	24	17.8	1	0.5	4	3.1	19	14.3	112	82.2	136	100
2018	12	8.6	1	0.6	6	4.0	6	4.0	126	91.4	138	100
सभी एससीबी (एसफबी सहित)												
2017	1,703	23.4	602	8.3	828	11.4	273	3.7	5,587	76.6	7,288	100
2018	2,076	21.6	832	8.6	910	9.5	334	3.5	7,555	78.4	9,626	100

टिप्पणियां : 1. राशि : – राशि; प्रतिशत: कुल एनपीए का प्रतिशत।
2. *: इसमें आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल जोड़ से असमान हो सकता है।
4. #कुल एनपीए में हिस्सा।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

मध्यम आकार के उद्योगों के ऋण की गुणवत्ता में सुधार हुआ, हालांकि 2018-19 की पहली छमाही में, इन उद्योगों को जीएनपीए अनुपात में इजाफे का सामना करना पड़ा (चार्ट IV.18बी)।

IV.47 वर्ष 2017-18 के दौरान धोखाधड़ी का पता चलने से रत्न और आभूषण क्षेत्र को जीएनपीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी झेलनी पड़ी। इसके विपरीत, सीमेंट क्षेत्र को कुछ दबावग्रस्त खातों के समाधान से जीएनपीए अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट

चार्ट IV.18: एससीबी के ऋण और एनपीए में क्षेत्रवार हिस्सेदारी

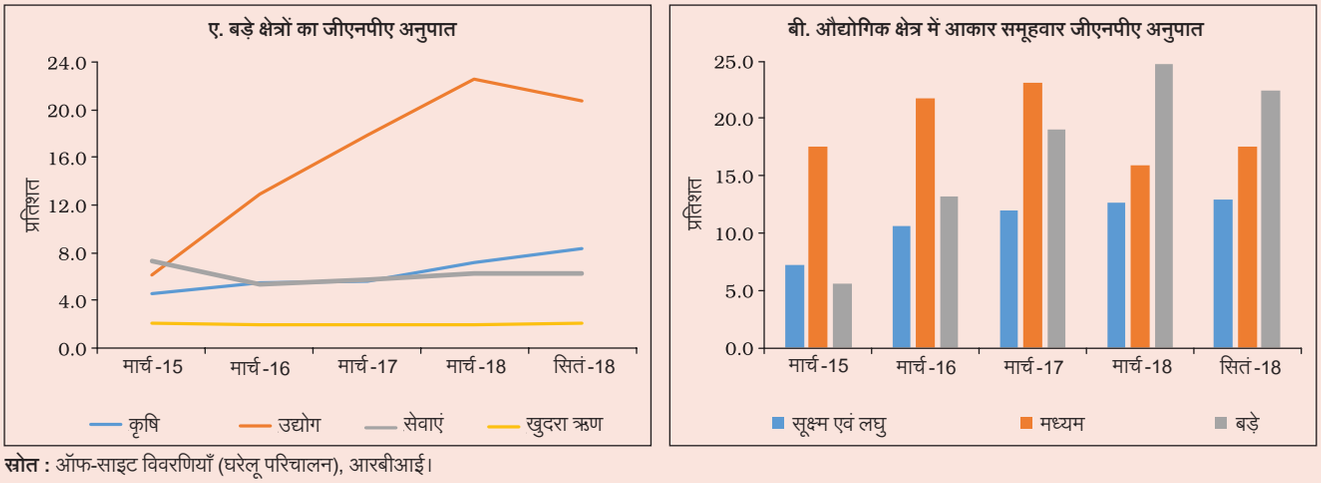

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

और उनके वित्तीय प्रदर्शन में इजाफा होने से लाभ हुआ। मूल धातु और धातु उत्पाद क्षेत्र में अत्यधिक लीवरेज रहा, हालांकि इस्पात क्षेत्र में बड़े एनपीए खातों के समाधान के कारण 2018-19 की पहली छमाही में खराब ऋणों का अनुपात घट गया। अत्यधिक दबाव स्तर वाले अन्य उद्योग अभियांत्रिकी, वाहन, निर्माण और वस्त्र थे। पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर, सभी प्रमुख उद्योगों में, पीएसबी का जीएनपीए अनुपात पीवीबी के जीएनपीए अनुपात से अधिक रहा (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.19: प्रमुख उद्योगों का बैंक समूह-वार जीएनपीए अनुपात

(सितंबर 2018 के अंत तक)

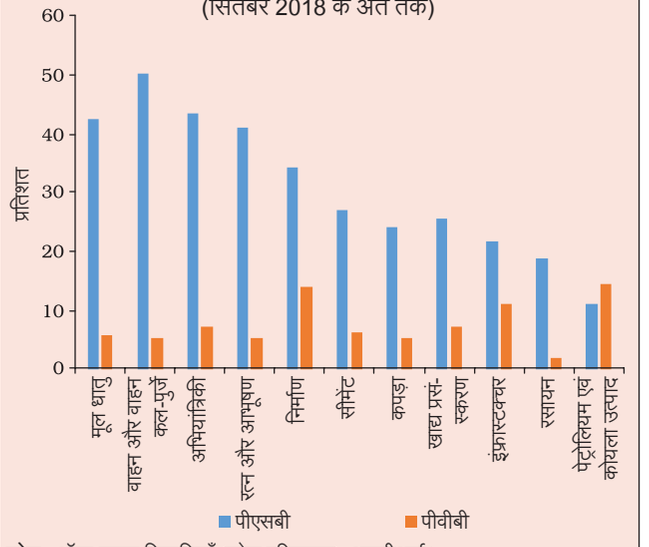

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

4.6 वसूलियाँ

IV.48 दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के माध्यम से वर्ष के दौरान दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली में सुधार हुआ (कृपया अध्याय III बॉक्स III.I देखें)। त्वरित वसूली के लिए बैंकों के जोरदार प्रयासों के अलावा उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में तीन महीने के कारावास का प्रावधान जोड़ने संबंधी तथा उधारदाता द्वारा 30 दिनों के भीतर बंधक संपत्ति का कब्जा लेने संबंधी सरफेसी अधिनियम में संशोधन के कारण बेहतर वसूली हुई हालांकि, लोक अदालतों और कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) को भेजे गए मामलों के साथ वसूली की संख्या घट गई, जो दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आईबीसी तंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव की द्योतक है। (सारणी IV.15)।

सारणी IV.15: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किए गए एससीबी के एनपीए

(राशि ₹ बिलियन में)

वसूली चैनल	2016-17				2017-18 (अ)			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गयी राशि *	कॉलम (3) के % के रूप में कॉलम(4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गयी राशि *	कॉलम (7) के % के रूप में कॉलम(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	3,555,678	361	23	6.3	3,317,897	457	18*	4.0
ii) डीआरटी	32,418	1,008	103	10.2	29,551	1,333	72*	5.4
iii) सरफेसी अधिनियम	199,352	1,414	259	18.3	91,330	1,067	265*	24.8
iv) आईबीसी	37@	-	-	-	699@	9,929#	4,925 ^	49.6
कुल	**3,787,485**	**2,783**	**385**	**13.8**	**3,439,477**	**12,786**	**5,280**	**41.3**

टिप्पणियां : 1. अ: अनंतिम।
2. * वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि को दर्शाता है, जो कि दिए गए वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में भी हो सकता है।
3. डीआरटी - ऋण वसूली न्यायाधिकरण
4. @: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।
5. #: 21 कंपनियों से संबंधित वित्तीय लेनदारों (एफसी) के स्वीकार किए गए दावे, जिसके लिए समाधान योजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी।
6. ^: 21 कंपनियों से एफसी द्वारा की गयी वसूली जिसके लिए समाधान योजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी।

स्रोत : आरबीआई एवं भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड।

चार्ट IV.20: एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री

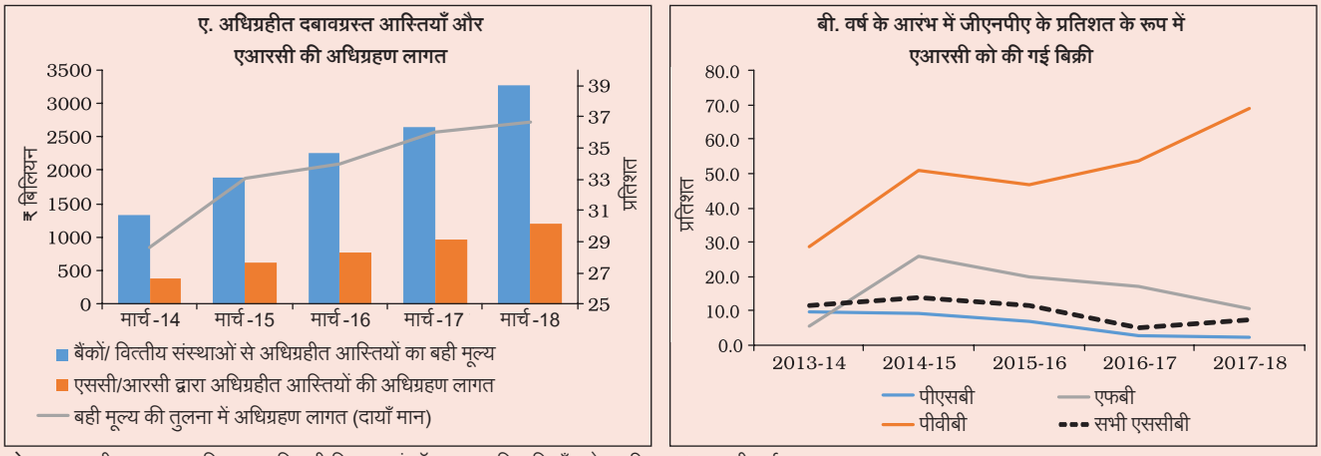

स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत किया गया तिमाही विवरण एवं ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

IV.49 विभिन्न विधिक माध्यमों से वसूली के अलावा बैंक हेयरकट लेते हुए आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) एवं अन्य बैंकों/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध/हानि आस्तियों की बिक्री करके तुलन-पत्रों को दुरुस्त भी कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, आस्तियों के बही मूल्य के अनुपात के रूप में एआरसी की अधिग्रहण लागत भी बढ़ गयी जिससे पता चलता है कि दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री से बैंकों ने बेहतर वसूली की। बैंक समूहवार, आस्तियों की बिक्री के संबंध में पीवीबी सबसे आक्रामक रहे हैं। वहीं आस्ति बिक्री के मामले में पीएसबी पिछड़ गए जिसकी मुख्य वजह बड़े हेयरकट और निर्णय लेने संबंधी अन्य प्रबंधन मसले थे (चार्ट IV.20)। सकारात्मक पक्ष पर गौर करें तो तीव्र समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कुछ पीएसबी ने एनपीए की वसूली के लिए अपनी आंतरिक विशेषज्ञता को मजबूत किया। तिमाही आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 की पहली छमाही के दौरान पीएसबी एवं पीवीबी दोनों के द्वारा एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री में कमी देखी गयी।

IV.50 एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में बैंकों के अभिदान की हिस्सेदारी एक साल पहले के 82.7 प्रतिशत से घटकर जून 2018 के अंत तक 79.7 प्रतिशत हो गयी (सारणी IV.16)। एसआर में बैंकों के निवेश को कम करने तथा अधिक पूंजी लाने के लिए एआरसी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल, 2017 से प्रावधान करने के मानदंडों को उतरोत्तर सख्त किया गया है।

4.7 संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क

IV.51 रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2017 से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक प्रारंभिक चेतावनी कार्यक्रम के

सारणी IV.16: एआरसी द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	जून-15	जून-16	जून-17	जून-18
1. अधिग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य	1,744	2,377	2,627	3,306
2. एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों की संख्या	536	790	939	1,203
3. द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें				
(ए) बैंक	441	651	777	960
(बी) एआरसी	73	114	142	202
(सी) एफआईआई	1	3	3	5
(डी) अन्य (पात्र संस्थागत खरीदार)	21	22	18	37
4. पूर्णतया मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि	62	72	74	88
5. बकाया प्रतिभूतिकृत रसीदें	413	641	783	981

स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

रूप में बैंकों के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों की निगरानी करता है और पीसीए तब शुरू किया जाता है जब पूंजी, आस्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता से संबंधित सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। इन मापदंडो को सीआरएआर / सीईटी 1 अनुपात, निवल एनपीए अनुपात और आरओए के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लीवरेज की निगरानी टिअर 1 लीवरेज अनुपात के माध्यम से की जाती है। पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य बैंकों को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए समयबद्ध रूप से सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक को भी प्रबंधन के साथ अधिक निकटता से जुड़कर इन बैंकों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक जोखिमपूर्ण गतिविधियों से दूर रहते हैं और पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनका तुलन-पत्र मजबूत हो। फ्रेमवर्क में कतिपय अनिवार्य और विवेकपूर्ण काईवाइयां निर्धारित की जाती हैं, जैसे लाभांश भुगतान अदायगी पर प्रतिबंध, शाखा विस्तार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन से इतर पूंजीगत व्यय करते, नया कारोबार शुरू करने, कर्मचारियों की संख्या विस्तार पर प्रतिबंध, एक्सपोजर की संकेंद्रीकरण और अनरेटेड एक्सपोजर में कटौती, जोखिम भारित आस्तियों का विस्तार, उच्च लागतवाली जमाराशियों में कमी और कासा जमाराशियों में सुधार।

IV.52 सितंबर 2018 के अंत तक, 11 पीएसबी को पीसीए के अंतर्गत रखा गया है जिनमें जून 2017 को समाप्त तिमाही में पांच पीएसबी, दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही में और पांच पीएसबी तथा मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में एक पीएसबी शामिल है। धनलक्ष्मी बैंक एकमात्र पीवीबी है जिसे पुराने पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा गया है।

IV.53 जमाराशियों की लागत में कमी लाने की दिशा में कार्य करते हुए पीसीए बैंकों ने थोक जमाराशियों की हिस्सेदारी में कमी करके कासा जमाराशियों की हिस्सेदारी में सुधार दिखाया है। अग्रिम और जमाराशियों में संवृद्धि को बरकरार रखते हुए, आस्तियों की जोखिम को कम करते हुए तथा बेहतर श्रेणीकृत आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एनपीए से वसूलियों में वृद्धि की है, जैसाकि आरडब्लूए में गिरावट से परिलक्षित होता है। उन्होंने गैर-पीसीए पीएसबी की तुलना में जीएनपीए में भी कम वृद्धि दिखायी है। पीसीए बैंकों पर विभिन्न प्रतिबंधों के फलस्वरूप परिचालन खर्चों में वृद्धि पर लगाम लगी है। कुछ पीसीए बैंकों ने अपनी गैर-मूल आस्तियों की पहचान करने और बेचने के प्रयास किए हैं। तथापि, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी स्थिति में गिरावट आई है। गैर-पीसीए पीएसबी की तुलना में एनपीए अनुपात में तेज वृद्धि भी पीसीए बैंकों के अग्रिमों में गिरावट की वजह से हुई है। इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता को धक्का लगा जैसा कि ऋणात्मक आरओए में दर्शाया गया है (चार्ट IV.21)।

4.8 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी[6]

IV.54 परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन में धोखाधड़ी सबसे गंभीर चिंता के रूप में उभरी है, जिनमें से 90 प्रतिशत बैंकों के ऋण संविभाग में निहित हैं। वर्ष 2017-18 में, हालांकि, तुलनपत्रेतर परिचालन, विदेशी मुद्रा लेनदेन, जमा खाता और साइबर गतिविधि से संबंधित धोखाधड़ी प्रमुख रहे हैं। बड़ी धोखाधड़ियों की कार्य-प्रणाली में उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना उधार देने वाले कन्सोर्टीयम के बाहर बैंकों में चालू खाता खोलना, तीसरे पक्ष की संस्थाओं द्वारा अक्षम एवं कपटपूर्ण सेवाएँ/प्रमाणन, उधारकर्ताओं द्वारा सहायक/मुखौटा कंपनियों सहित माध्यम से विभिन्न निधियों

[6] बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ियों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में दिया गया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के साथ ही जारी की जा रही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अध्याय 3 में बैंकों के परिचालनगत जोखिमों के प्रसंग में भी इस पर चर्चा की गयी है।

चार्ट: IV.21: पीसीए बनाम गैर-पीसीए पीएसबी

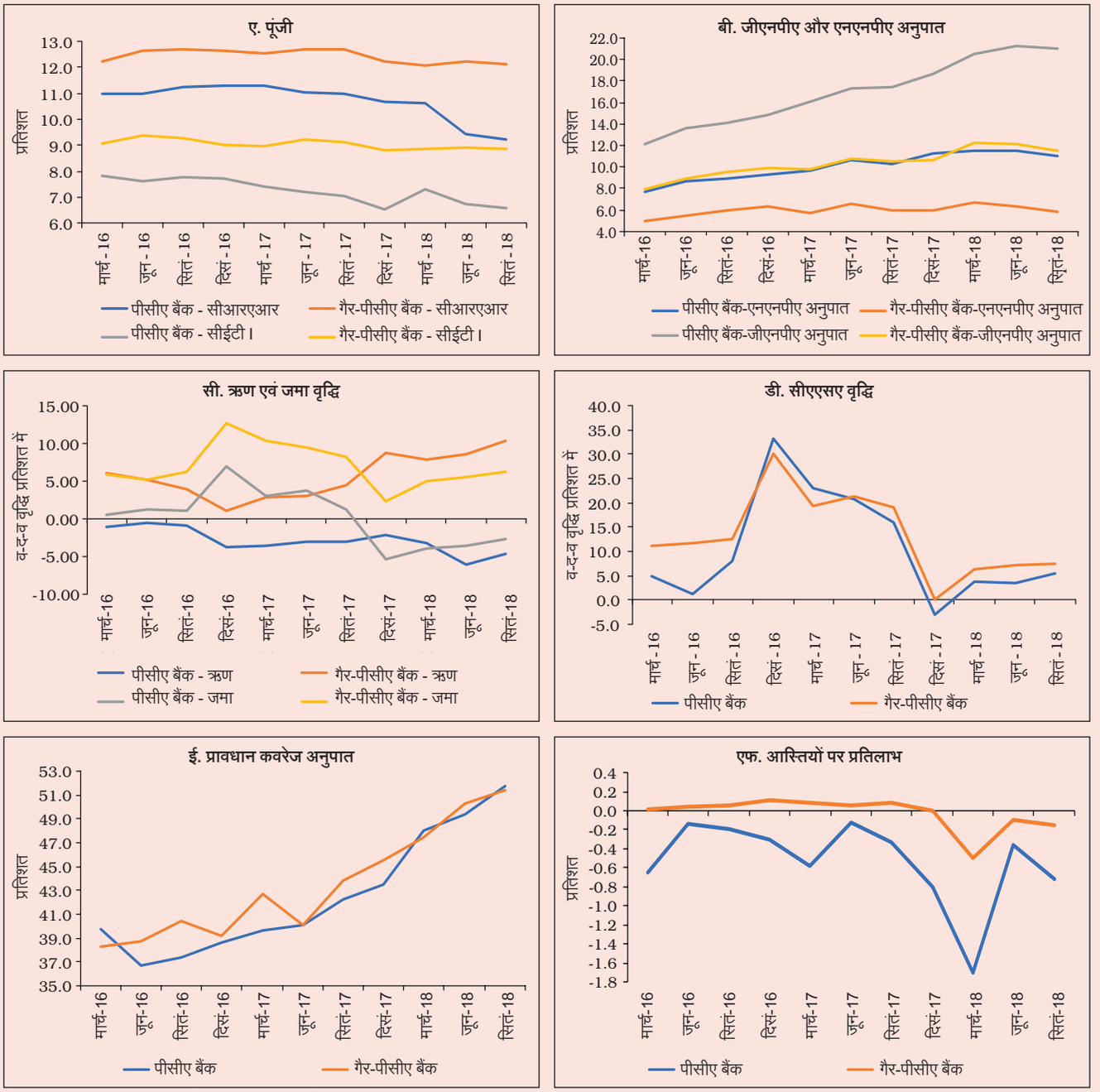

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

का विचलन, ऋण हामीदारी मानकों में कमी और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने में विफल होना शामिल है। राशि के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी वर्ष 2017-18 में तीव्र वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से आभूषण क्षेत्र के बड़े मूल्यवाले मामलों को दर्शाता है (सारणी IV.17)। संयोग से वर्ष के सभी धोखाधड़ियों में ₹500 मिलियन और उससे अधिक की बड़ी राशिवाली धोखाधड़ियों का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत रहा। ₹0.1 मिलियन से अधिक की राशि वाले मामलों में 93 प्रतिशत धोखाधड़ी पीएसबी में हुई, जबकि पीवीबी में यह छह प्रतिशत थी।

सारणी IV.17: विभिन्न बैंकिंग परिचलनों में धोखाधड़ी

(मामलों की संख्या और राशि ₹ मिलियन में)

परिचालन क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
अग्रिम	1,990	84,121	2,251	171,222	2,125	173,681	2,322	205,614	2,526	225,590
जमाराशियाँ	773	3,315	876	4,369	757	8,087	695	9,027	691	4,567
साइबर	978	545	845	517	1,191	402	1,372	423	2,059	1,096
तुलन-पत्र से इतर	15	10,885	10	6,994	4	1,324	5	633	20	162,877
विदेशी मुद्रा लेन-देन	9	1,439	16	8,987	17	508	16	22,010	9	14,258
नकदी	145	237	153	431	160	220	239	365	218	403
चेक/डिमांड ड्राफ्ट	180	188	254	261	234	250	235	404	207	341
समाशोधन, आदि खाता	36	237	29	68	17	866	27	57	37	56
अंतर-शाखा खाता	7	5	4	3	4	101	1	4	6	12
अनिवासी खाता	38	96	22	76	8	88	11	34	6	55
अन्य	135	641	179	1,623	176	1,460	153	768	138	2,421
कुल	**4,306**	**101,708**	**4,639**	**194,551**	**4,693**	**186,988**	**5,076**	**239,339**	**5,917**	**411,677**

टिप्पणियां : 1. ₹0.1 मिलियन और इससे ऊपर की धोखाधड़ी को दर्शाता है।
2. बैंकों और एफआई द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज कराए गए संशोधनों पर आधारित परिवर्तनों के अधीन हैं।
स्रोत : आरबीआई।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

IV.55 वर्ष 2017-18 के दौरान, कृषि को बैंक ऋण कम हो गया, जो व्यापक जोखिम विमुखता और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कर्ज माफी को दर्शाता है, जिसने इस क्षेत्र को उधार देने के लिए हतोत्साहित किया है। नवंबर 2017 में 13 महीनों के अंतराल के बाद उद्योगों में ऋण वृद्धि धनात्मक हो गई, लेकिन यह कमजोर बनी रही। एनबीएफसी को दिया जाने वाला ऋण बढ़ गया, खासकर उनको जिनकी क्रेडिट रेटिंग उच्च थी। व्यक्तिगत ऋण ने वर्ष 2017-18 में भी मजबूत वृद्धि दर्ज कराना जारी रखा। वर्ष 2018-19 (सितंबर तक) के दौरान, ऋण वृद्धि दोहरे अंकों तक पहुंच गई, जिसमें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र ऋण देने और व्यक्तिगत ऋण की भूमिका है (सारणी IV.18)।

सारणी IV.18: सकल बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	को बकाया			प्रतिशत घट-बढ़ (व-द-व)		
		मार्च-17	मार्च-18	सितं-18	2016-17	2017-18	2018-19 (सितं-तक)
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**9,924**	**10,302**	**10,544**	**12.4**	**3.8**	**5.8**
2	**उद्योग,** जिसमें से	**26,798**	**26,993**	**27,016**	**-1.9**	**0.7**	**2.3**
	2.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	3,697	3,730	3,638	-0.5	0.9	-1.4
	2.2 मध्यम	1,048	1,037	1,053	-8.7	-1.1	3.3
	2.3 बड़े	22,053	22,226	22,326	-1.7	0.8	2.9
3	**सेवाएं,** जिसमें से	**18,022**	**20,505**	**22,014**	**16.9**	**13.8**	**24.0**
	3.1 व्यापार	4,279	4,669	4,815	12.3	9.1	10.8
	3.2 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,856	1,858	1,847	4.5	0.1	-0.8
	3.3 पर्यटन, होटल तथा रेस्तरां	375	365	374	1.2	-2.7	1.0
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	179	186	192	-6.3	4.1	6.0
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	3,910	4,964	5,467	10.9	26.9	41.5
4	**व्यक्तिगत ऋण**	**16,200**	**19,085**	**20,200**	**16.4**	**17.8**	**15.1**
5	**खाद्येत्तर ऋण (1-4)**	**70,945**	**76,884**	**79,774**	**8.4**	**8.4**	**11.3**
6	**सकल बैंक ऋण**	**71,455**	**77,303**	**80,250**	**7.5**	**8.2**	**11.3**

टिप्पणियां : 1. प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।
स्रोत : आरबीआई।

5.1 खुदरा ऋण

IV.56 वर्ष 2017-18 में बैंकों ने खुदरा ऋण में मजबूत वृद्धि जारी रखी। किफायती आवास हेतु प्रोत्साहनों जैसे कि प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के कार्यान्वयन से आवास ऋण को बल मिला था। इसके अलावा, जून 2017 में व्यक्तिगत आवास ऋण की कुछ श्रेणियों में जोखिम भारों को तर्कसंगत बनाने और मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करने से इस सेगमेंट में उत्साह भर गया। ऑटो ऋण संवृद्धि भी बढ़ी (सारणी IV.19)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, खुदरा ऋण में तेज संवृद्धि दर्ज की गई जो आवास एवं ऑटो ऋण तथा क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्राप्य राशियों से प्रेरित है।

IV.57 खुदरा ऋण सेगमेंट में पीएसबी ऋण वृद्धि पीवीबी के मुकाबले तुलनात्मक थी, जो अपेक्षाकृत दबाव-रहित था (चार्ट IV.22)।

5.2 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

IV.58 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संवृद्धि वर्ष 2017-18 में बहाल हो गयी, जिसकी मुख्य वजह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए ऋण में सुधार थी (चार्ट IV.23)। कुल कृषि ऋण के विपरीत, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों में वर्ष के दौरान धीमी संवृद्धि दर्ज की गई (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

सारणी IV.19: बैंकों का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो
(मार्च अंत तक)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
		2017	2018	2017	2018
1	आवास ऋण	8,539	10,230	12.0	19.8
2	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	215	190	18.4	-11.6
3	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	649	828	38.3	27.7
4	ऑटो ऋण	1,867	2,388	21.0	27.9
5	शिक्षा ऋण	729	728	7.0	-0.1
6	सावधि जमाराशियों के बदले में अग्रिम (एफसीएनआर (बी), *आदि* सहित)	680	635	-6.0	-6.6
7	व्यक्तियों को शेयर, बॉण्ड *आदि* के बदले में अग्रिम	51	64	-2.8	26.1
8	अन्य खुदरा ऋण	3,396	4,192	26.3	23.4
	कुल खुदरा ऋण	**16,126**	**19,255**	**15.5**	**19.4**

टिप्पणी : प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणी (घरेलू) आरबीआई।

IV.59 वर्ष 2015-16 से एससीबी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को दी जाने वाली समग्र उधारी पिछले तीन वर्षों के प्रणाली में व्याप्त औसत से कम न हो। एससीबी को लाभार्थियों को 13.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष उधारी के स्तर तक पहुंचने का भी निदेश दिया गया था, जिसे

चार्ट: IV.22: क्षेत्र-वार ऋण : पीएसबी *बनाम* पीवीबी

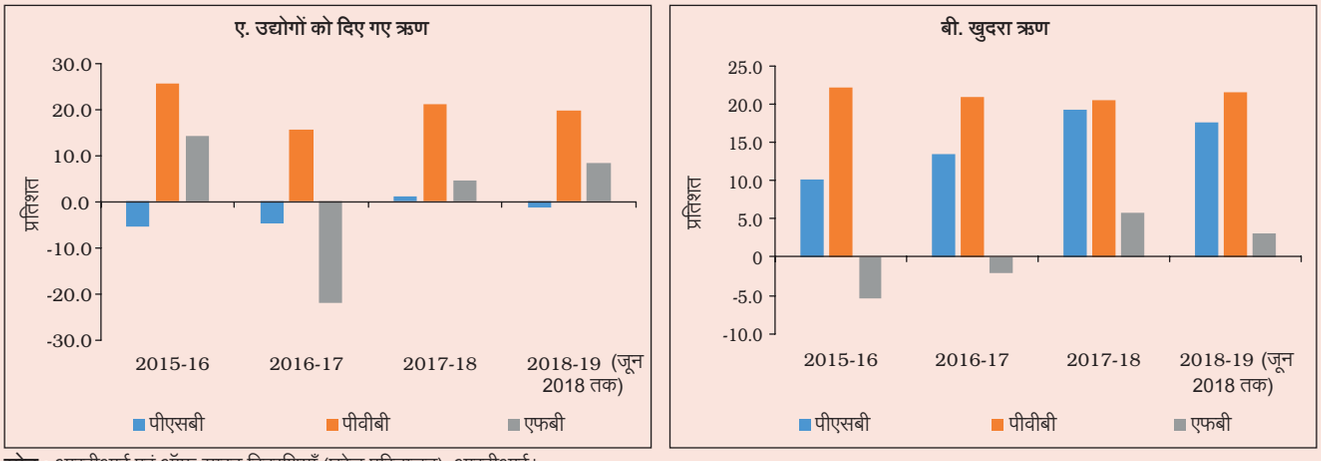

स्रोत : आरबीआई एवं ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.23: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

(मार्च अंत तक)

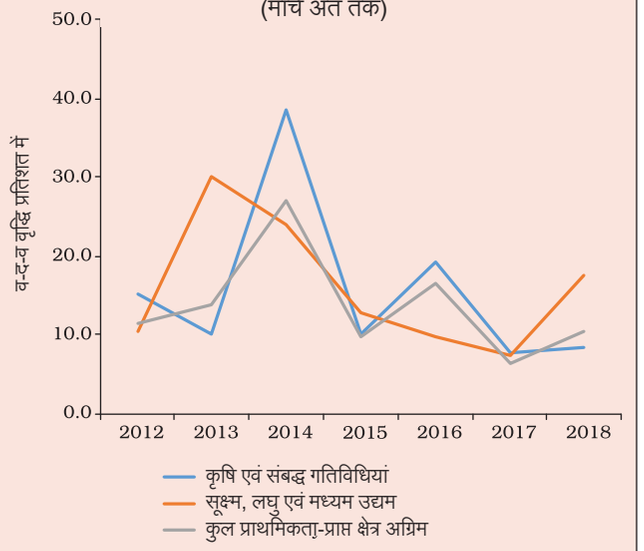

स्रोत : आरबीआई।

पहले कृषि को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष ऋण माना जाता था। वर्ष 2017-18 के लिए लागू प्रणाली में व्याप्त औसत लक्ष्य 11.8 प्रतिशत था।

IV.60 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को पांच साल के रोडमैप (2013-18) पर रखा गया था और 31 मार्च 2018 तक उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य और विभिन्न क्षेत्रवार उप-लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में घरेलू बैंकों के बराबर लाया गया था। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को मार्च 2020 तक चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

IV.61 पीवीबी समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार (पीएसएल) का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे[7]। हालांकि, कुछ उप-लक्ष्यों, जैसे कि कृषि एवं इसके विभिन्न सेगमेंट एवं कमजोर वर्गों, में कमी पाई गयी थी। पिछले वर्ष की तरह, पीएसबी 2017-18 में समग्र पीएसएल लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहे लेकिन वे सूक्ष्म-उद्यमों से संबंधित उप-लक्ष्यों को छोड़कर विभिन्न उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहे (सारणी IV.20)। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, पीएसबी और पीवीबी दोनों समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि, पीएसबी (सूक्ष्म-उद्यमों) और पीवीबी (कुल कृषि, छोटे एवं सीमांत किसान, गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसान और कमजोर वर्ग), दोनों के मामले में कुछ क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में कमी देखी गई।

सारणी IV. 20: बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

(2017-18 के लिए औसत तिमाही आंकड़े)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	लक्ष्य/उप लक्ष्य (एएनबीसी/ ओबीई का प्रतिशत)	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	**40**	**20,723**	**39.9**	**8,046**	**40.8**	**1,402**	**38.3**
जिसमें से							
कुल कृषि	18	9,321	18.0	3,183	16.2	330	16.7
लघु और सीमांत किसान	8	4,633	8.9	1,205	6.1	103	5.2
गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिक किसान	11.7	6,647	12.8	2,125	10.8	131	6.6
सूक्ष्म उद्यम	7.5	3,317	6.4	1,548	7.9	83	4.2
कमजोर वर्ग	10	5,946	11.5	1,874	9.5	140	7.1

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : आरबीआई।

[7] समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत या तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) की क्रेडिट के बराबर राशि, जो भी अधिक हो।

IV.62 उन बैंकों के लिए जो प्रत्यक्ष उधारों के माध्यम से पीएसएल लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके थे, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था (बॉक्स IV.1)। हालांकि आरआईडीएफ योजना जारी है, लेकिन इसके

बॉक्स IV.1: पीएसएलसी के दो वर्ष : 'क्या लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने वालों' को पुरस्कृत करना है?

अप्रैल 2016 में विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक ताकत का लीवरेजिंग करके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए कार्बन क्रेडिट में व्यापार की तर्ज पर पीएसएलसी शुरू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत, लक्ष्य से अधिक पाने वाले बैंक अतिरिक्त प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दायित्वों को बेच देते हैं, जबकि अल्प सफल बैंक जोखिम या ऋण आस्तियों के हस्तांतरण के बिना ही उसे खरीदते हैं। पीएसएलसी में खरीद-बिक्री रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से होती है। चार प्रकार के पीएसएलसी, जैसे पीएसएलसी - कृषि (पीएसएलसी-ए); पीएसएलसी - छोटे और सीमांत किसान (पीएसएलसी-एसएम); पीएसएलसी – लघु उद्यम (पीएसएलसी-एमई); और पीएसएलसी - सामान्य (पीएसएलसी-जी) – को प्रयोज्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा एवं बेचा जा सकता है।

व्यापार की मात्रा: वर्ष 2017-18 के दौरान, पीएसएलसी की व्यापारिक मात्रा पिछले साल की तुलना में ₹498 बिलियन से 270 फीसदी बढ़कर ₹1,842 बिलियन हो गई। 2018-19 की पहली छमाही में, एक साल पहले स्तर से व्यापार की मात्रा दोगुनी हो गई थी। व्यापार की मात्रा प्रत्येक तिमाही के अंत में बढ़ने लगती है क्योंकि खरीदार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तिमाही लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं (चार्ट 1)। ई-कुबेर पोर्टल में सभी पात्र बैंक श्रेणियों - एससीबी (आरआरबी सहित); शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और हाल ही में परिचालनगत लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) की भागीदारी है।

पीएसबी और पीवीबी पीएसएलसी के प्रमुख खरीदार और विक्रेता हैं; हालांकि, यदि खरीद और बिक्री को निवल किया जाए तो पीवीबी और एफबी प्रमुख खरीदार एवं पीएसबी, आरआरबी और एसएफबी प्रमुख विक्रेताओं के रूप में उभरते हैं (चार्ट 2)।

प्रीमियम में उतार-चढ़ाव: पहली तिमाही के दौरान खरीदे गए और उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक रखे गए पीएसएलसी को पूरे वर्ष प्राथमिकता-

चार्ट 1: पीएसएलसी की मासिक कारोबार

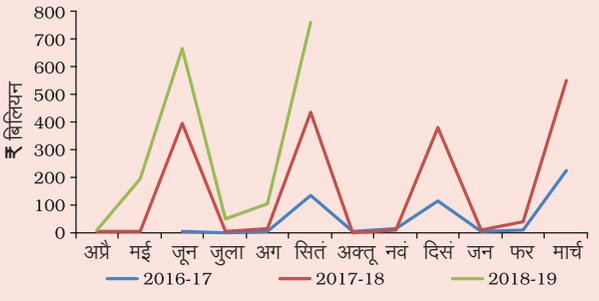

टिप्पणी : पीएसएलसी व्यापार की शुरुआत जून 2016 के मध्य में की गयी
स्रोत : आरबीआई।

चार्ट 2: पीएसएलसी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की हिस्सेदारी – 2017-18

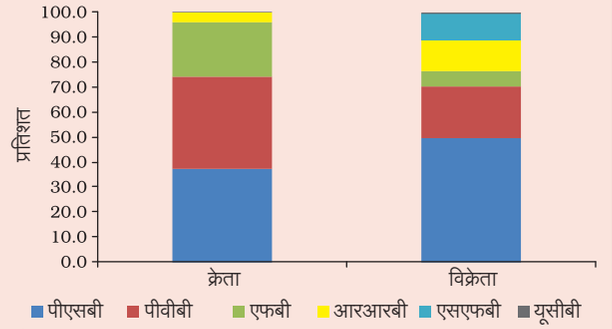

स्रोत : आरबीआई।

प्राप्त क्षेत्र मानदंडों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जबकि वर्ष की आखिरी तिमाही में खरीदा गया पीएसएलसी केवल एक तिमाही के लिए मानदंडों को पूरा कर सकता है। इसलिए, पहली तिमाही के दौरान पीएसएलसी का प्रीमियम सर्वाधिक रहा, जिसमें प्रत्येक आगामी तिमाही में लगभग 0.25 प्रतिशतता बिंदुओं की गिरावट आई। वर्ष 2017-18 के दौरान चार श्रेणियों के बीच पीएसएलसी-एसएम का प्रीमियम उच्चतम रहा, क्योंकि इसमें सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर सभी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की गणना शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2017-18 के दौरान प्रीमियम की सभी श्रेणियों में 10 से 50 प्रतिशतता बिंदुओं तक की गिरावट आई। 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, प्रीमियमों में और गिरावट आई है, जो दर्शाता है कि व्यापार का निपटान अंततः औसत बिक्री प्रस्तावों की तुलना में औसत खरीद प्रस्तावों के करीब हो रहे हैं (सारणी 1)।

सारणी 1 : पीएसएलसी की विविध श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम
(प्रतिशत)

	2016-17	2017-18	2018-19 (अप्रै-सितं)
पीएसएलसी-ए	1.87	1.29	1.18
पीएसएलसी-एमई	0.75	0.61	0.57
पीएसएलसी-एसएम	1.72	1.54	1.39
पीएसएलसी-जी	0.7	0.59	0.43

स्रोत : आरबीआई।

बैंकों द्वारा वसूल किया गया कुल प्रीमियम वर्ष 2017-18 के दौरान ₹18.6 बिलियन हो गया जो पिछले वर्ष ₹6.3 बिलियन था। बिक्री के प्रस्ताव वाले पीएसएलसी के सिर्फ आधे का ही अंततः निपटान वर्ष के दौरान हुआ, जो पीएसएलसी बाजार की क्षमता के अधूरे दोहन को दर्शाता है।

लिए बैंकों के अंशदान कम हो गए हैं और इसके बजाय इसे पीएसएलसी की ओर मोड़ दिया गया है।

5.3 व्यापार-प्राप्य बट्टा प्रणाली

IV.63 व्यापार-प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) ने गति पकड़ी, जो सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापार प्राप्य-राशियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली है। टीआरईडीएस को स्थापित करने और इसे परिचालित करने के लिए अधिकृत की गई तीन संस्थाओं ने मिलकर 1,878 एमएसएमई, 235 कॉर्पोरेट और 57 बैंकों को पंजीकृत किया। 31 अक्तूबर 2018 की स्थिति के अनुसार टीआरईडीएस के माध्यम से ₹24 बिलियन की एमएसएमई प्राप्य-राशियों का वित्तपोषण किया गया है।

5.4 संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

IV.64 संवेदनशील क्षेत्रों – स्थावर संपदा एवं पूंजी बाजार के लिए ऋण में पिछले वर्ष की हल्के मंदी के बाद वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई, जिसने क्रमशः आवास क्षेत्र की गतिविधि और आईपीओ के वित्त पोषण में कुछ जान डाल दी (चार्ट IV.24 एवं परिशिष्ट सारणी IV.4)।

चार्ट IV.24: संवेदनशील क्षेत्र को उधार देने में वृद्धि

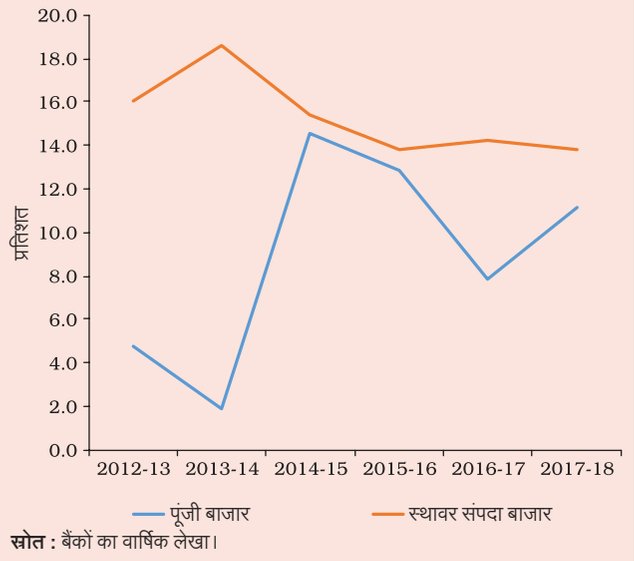

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

6. पूंजी बाजार में एससीबी के परिचालन

IV.65 पूंजी बाजार बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने हेतु संसाधन जुटाने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन ऐसा करते समय उनसे अनुशासन लागू करने एवं बाज़ार द्वारा उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने की भी अपेक्षा की जाती है।

6.1 सार्वजनिक निर्गम और निजी स्थानन

IV.66 वर्ष 2017-18 के दौरान पीवीबी द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से संसाधन संग्रहण, मुख्य रूप से बंधन बैंक के ₹44.7 बिलियन के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के कारण, बढ़ गया। वर्ष के दौरान पीएसबी के कोई सार्वजनिक निर्गम नहीं थे। वर्ष 2018-19 के दौरान अभी तक (सितंबर 2018 के अंत तक), पीएसबी या पीवीबी के कोई सार्वजनिक निर्गम नहीं थे (सारणी IV.21)।

IV.67 बॉण्डों के निजी स्थानन बैंकों के लिए निधीयन के प्रमुख दीर्घकालिक स्रोत बने रहे। वर्ष 2017-18 के दौरान, निजी स्थानन के माध्यम से पीवीबी द्वारा जुटाई गई राशि पीएसबी की तुलना में अधिक थी, हालांकि निर्गमों की संख्या कम थी। वर्ष 2018-19 के दौरान अभी तक (सितंबर 2018 के अंत तक), बैंकों के निजी स्थानन सीमित थे (चार्ट IV.25)।

6.2 बैंकिंग स्टॉक का कार्य-निष्पादन

IV.68 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान अभी तक (नवंबर 2018 के अंत तक), अशोध्य ऋण से निपटने के लिए

सारणी IV.21: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		कुल जोड़
	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)
2016-17	11	-	25	-	36	-	36
2017-18	-	-	62	-	62	-	62
2018-19 (सितं. 2018 तक)	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : -: शून्य/नगण्य।
स्रोत : सेबी।

चार्ट IV.25: निजी स्थानन के जरिए बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

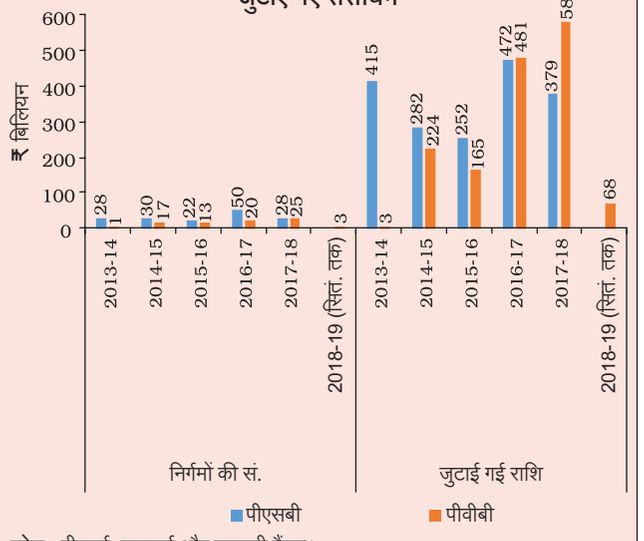

स्रोत : बीएसई, एनएसई और व्यापारी बैंकर।

किए गए उपायों, पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण, एनसीएलटी को निर्दिष्ट मामलों में वृद्धि, आईबीसी के तहत कुछ बड़े एनपीए खातों के समाधान और मजबूत पीएसबी के साथ कमजोर पीएसबी के विलय की घोषणा के कारण निफ्टी बैंक सूचकांक ने सामान्य तौर पर निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी निजी बैंक सूचकांक ने पूरी अवधि के दौरान निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक की तुलना में सामान्य तौर पर बेहतर प्रतिलाभ दिया (चार्ट IV.26)।

7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का स्वामित्व पैटर्न

IV.69 वर्ष 2017-18 के दौरान, पूंजी डालने के कारण 21 पीएसबी में से 16 में सरकारी स्वामित्व बढ़ा (चार्ट IV.27)। साथ ही, पांच पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता में गिरावट आई क्योंकि उन्होंने अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) और अन्य पूंजी बाजार लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाए (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

IV.70 हाल के वर्षों में, जब देश में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों की संख्या स्थिर बनी हुई है, युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के कारण उनकी शाखाओं की संख्या कम हुई है (सारणी IV.22)। रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों के साथ लगभग राष्ट्रीय बैंकों जैसा व्यवहार करते हुए उन्हे अपने मूल बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने

चार्ट IV.26: बैंक सूचकांक और निफ्टी 50 का सापेक्ष कार्य-निष्पादन

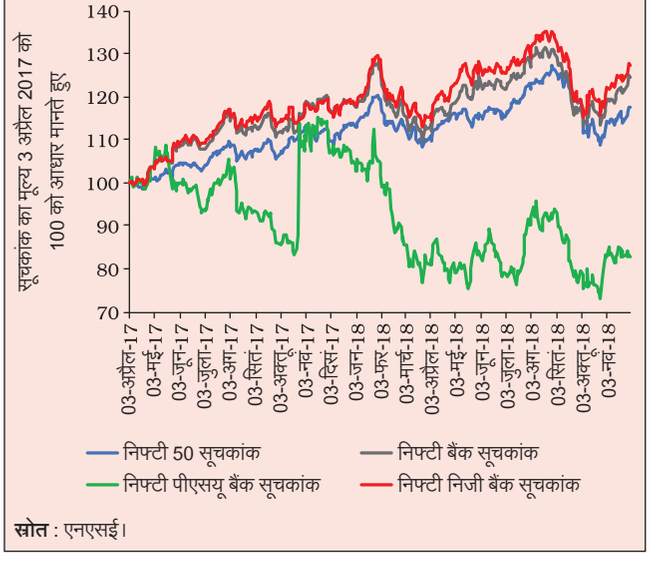

स्रोत : एनएसई।

चार्ट IV.27: चुनिंदा पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता (मार्च के अंत तक)

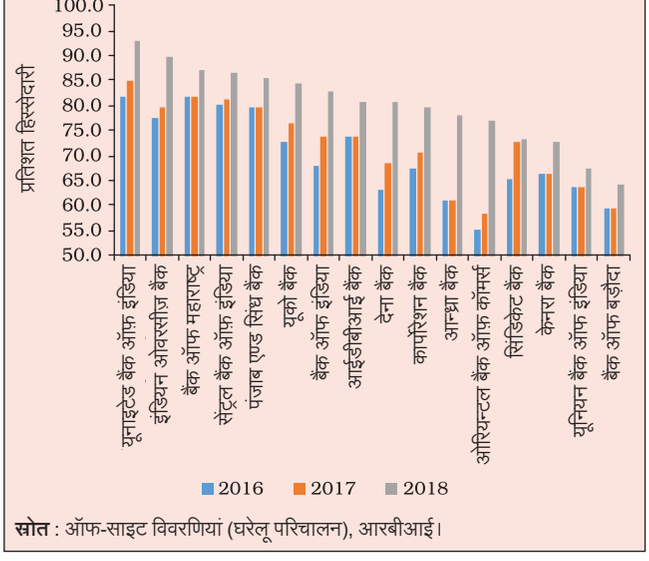

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.22: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

अवधि	शाखाओं के जरिए परिचालन कर रहे विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की सं.	शाखाएं	
मार्च-2014	43	314	45
मार्च-2015	45	321	40
मार्च-2016	46	325	39
मार्च-2017	44	295	39
मार्च-2018	45	286	40

स्रोत : आरबीआई।

के लिए प्रोत्साहित करता है।[8] एसबीएम समूह और डीबीएस बैंक लिमिटेड की सहायक कंपनियों को डब्ल्यूओएस मोड द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए क्रमशः 6 दिसंबर, 2017 और 4 अक्तूबर, 2018 को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

IV.71 भारतीय बैंकों, विशेष रूप से पीएसबी ने शाखाओं, प्रतिनिधि कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के मामले में विदेश में अपनी उपस्थिति को थोड़ा कम किया है (परिशिष्ट सारणी IV.6)। विदेश में स्थित कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश पूंजी के संरक्षण/उन्मोचन के साथ-साथ परिचालन व्यय में कटौती के लिए था। तदनुसार, बैंकों ने अव्यवहार्य शाखाओं को बंद कर दिया, अपनी कुछ शाखाओं को छोटे प्रतिनिधि कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया तथा छोटी शाखाओं का विलय बड़ी शाखाओं में कर दिया।

9. भुगतान प्रणाली और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.72 *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन-2018 दस्तावेज* में की गई परिकल्पना के अनुरूप ग्राहक केंद्रीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिज़र्व बैंक प्रतिक्रियात्मक विनियमन, मजबूत आधारभूत संरचना, प्रभावी पर्यवेक्षण आदि के माध्यम से 'कम-नकद' वाला भारत बनाने हेतु एक विश्व स्तरीय भुगतान और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

IV.73 वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली कुल भुगतान प्रणाली लेनदेन के मूल्य के अनुसार 82.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे प्रभावशाली माध्यम बना रहा।[9] तथापि, संख्या के मामले में आरटीजीएस लेनदेन की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम थी। वर्ष 2017-18 और 2018-19 (सितंबर तक) के दौरान, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और कार्ड भुगतान के हिस्से में संख्या और मूल्य के मामले में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2017-18 और 2018-19 की पहली छमाही के दौरान कार्ड भुगतान के माध्यम से आधे से अधिक लेनदेन किए गए थे। मूल्य के मामले में भी, नवंबर 2016 के बाद कार्ड भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। तथापि, वर्ष 2017-18 में कार्ड से किए गए भुगतानों की संख्या में संवृद्धि तेजी से कम हुई जो पिछले वर्ष के उच्च आधार के कारण हो सकता है (चार्ट IV.28)।

IV.74 बड़ी संख्या की विशेषता वाले खुदरा भुगतानों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की मूल्य के अनुसार हिस्सेदारी 90 प्रतिशत रही, जिसमें से अधिकांश लेनदेन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से किए गए (चार्ट IV.29ए)। संख्या के अनुसार में, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे कुछ अपेक्षाकृत नए माध्यमों का महत्व हाल के वर्षों में बढ़ा है (चार्ट IV.29बी)। वे ग्राहकों को लेनदेन शुरू करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हुए मल्टी-चैनल प्रणाली के रूप में उभरे हैं।

9.1 एटीएम और पीओएस

IV.75 कुछ पीएसबी द्वारा शाखाओं की संख्या को युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण वर्ष के दौरान एटीएम, विशेष रूप से ऑन-साइट एटीएम, की संख्या कम हुई है। पीवीबी ने अपने एटीएम की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की है (सारणी IV.23 और

[8] स्थानीय रूप से शामिल किए गए बैंक के रूप में, डब्ल्यूओएस के साथ करीब-करीब राष्ट्र के बैंक जैसा व्यवहार किया जाता है जो उन्हें भारतीय बैंकों के समान देश में कहीं भी शाखाएं खोलने में सक्षम बनाता है (कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, जहां रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है)। वे घरेलू बैंकों के समान गैर-ईक्विटी पूंजीगत लिखतों के निर्गम द्वारा रुपया मूल्यवर्ग वाले संसाधन भी जुटा सकते हैं।

[9] इसमें आरटीजीएस, पेपर द्वारा समाशोधन, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और कार्ड भुगतान शामिल हैं।

चार्ट IV.28: भुगतान प्रणाली लेनदेनों की संख्या और मूल्य

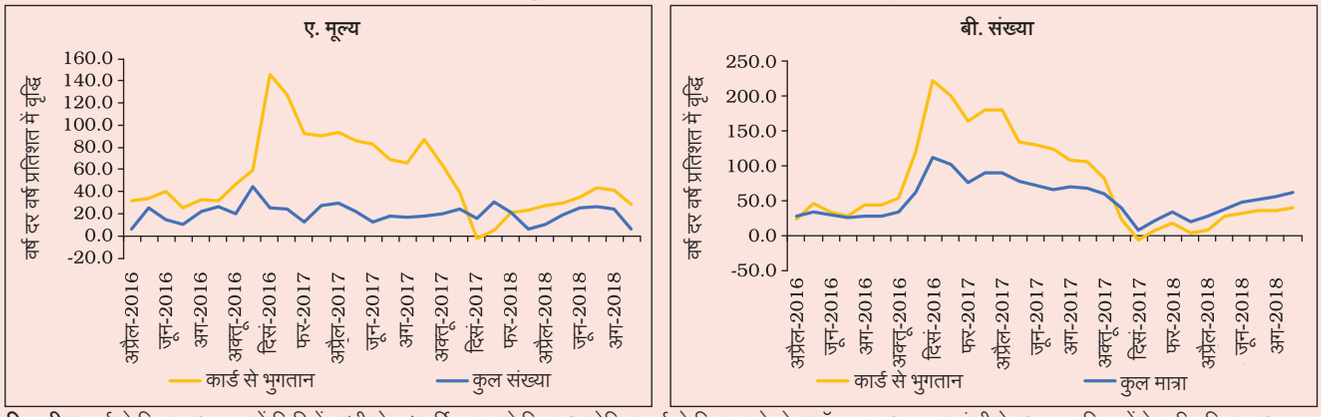

टिप्पणी : कार्ड से किए गए भुगतान में बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल पर क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड से किए गए लेनदेन, ऑनलाइन भुगतान एवं प्री-पेड भुगतान लिखतों के जरिए किए गए भुगतान शामिल हैं।
स्रोत : आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.7)। वर्ष 2018-19 (अगस्त तक) के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण एटीएम की संख्या (एसएफबी और पीबी को छोड़कर) और कम होकर 204,285 हो गई। इसी अवधि के दौरान, देश भर में पीओएस टर्मिनलों की स्थापना में भारी वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.30)।

9.2 व्हाइट लेबल एटीएम

IV.76 हाल के वर्षों में व्हाइट-लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संवृद्धि में कमी आई है, तथापि वर्ष 2017-18 के दौरान डब्ल्यूएलए की संख्या 15,000 से अधिक हो गई है (चार्ट IV.31)। डब्ल्यूएलए संचालकों हेतु नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दिसंबर 2016 से बैंकों के अलावा खुदरा बिक्री केंद्रों से नकद उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई। चूंकि डब्लूएलए की परिकल्पना अपेक्षाकृत कम बैंकिंग सुविधाओं वाले टिअर III से टिअर VI केंद्रों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गैर बैंकिंग संस्थाओं को एटीएम लगाने की अनुमति देने के लिए की गई थी, इसलिए लगभग तीन-चौथाई डब्ल्यूएलए ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में लगाए गए थे।

9.3 डेबिट और क्रेडिट कार्ड

IV.77 वर्ष 2017-18 में क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि में तेजी जारी रही, जबकि डेबिट कार्ड की वृद्धि दर कम हुई।

चार्ट IV.29: खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के घटक : संख्या तथा मूल्य

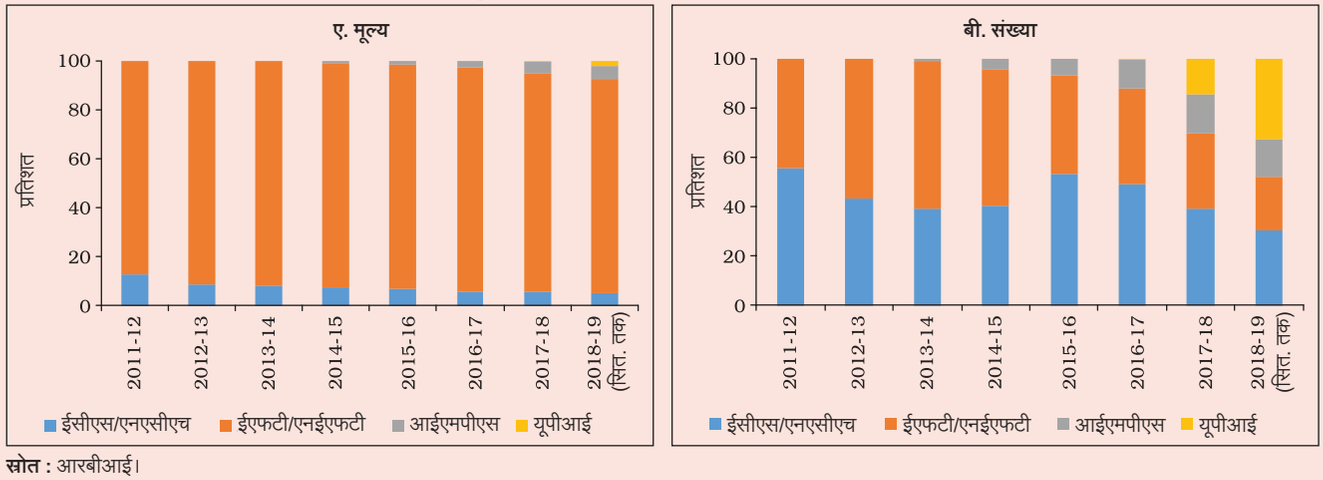

स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एटीएम
(मार्च के अंत तक)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I	पीएसबी	86,545	82,733	62,010	63,235	148,555	145,968
II	पीवीबी	23,045	23,829	35,788	36,316	58,833	60,145
III	एफबी	219	214	747	725	966	939
IV	**सभी एससीबी**	**109,809**	**106,776**	**98,545**	**100,276**	**208,354**	**207,052**

टिप्पणी : आंकड़े व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लूएलए) को छोड़कर।
स्रोत : आरबीआई।

विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर आसान समान मासिक किश्त (ईएमआई) सुविधाओं, कैश-बैक, ईनाम और छूट की पेशकश आदि क्रेडिट कार्ड में वृद्धि के प्रमुख उत्प्रेरक थे। क्रेडिट कार्ड के मामले में प्रति लेनदेन औसत राशि डेबिट कार्ड की तुलना में बहुत अधिक रही जो उच्च मूल्य वाले लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड को दी जा रही प्राथमिकता का परिणाम है (चार्ट IV.32)।

9.4 प्री-पेड भुगतान लिखत

IV.78 विमुद्रीकरण से प्रेरित तेजी वाली स्थिति की तुलना में गति कम होने के बावजूद, वर्ष 2017-18 के दौरान प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने संख्या एवं मूल्य, दोनों के मामले में भारी वृद्धि जारी रखी है (चार्ट IV.33)। पीपीआई के माध्यम से धोखाधड़ी तथा धन शोधन को रोकने के लिए, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को सख्त किया गया, निधि अंतरण के मामले में सीमाएं तय की गई और वॉलेट की राशि के मामले में अधिकतम सीमा तय की गई। पीपीआई के माध्यम से लेनदेन, जो वर्ष 2013-14 में कुल ₹81 बिलियन जितना कम था, बाद के वर्षों में कई गुना बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹1,416 बिलियन तक पहुंच गया।

9.5 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

IV.79 वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया यूपीआई बिना संवेदनशील सूचना साझा किए हुए तत्काल निधि अंतरण एवं

चार्ट IV.30: एटीएम और पीओएस – वृद्धि

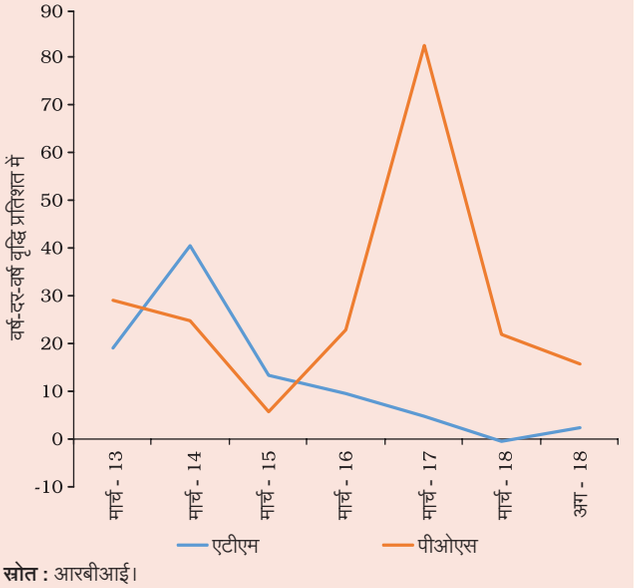

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.31: व्हाइट लेबल एटीएम

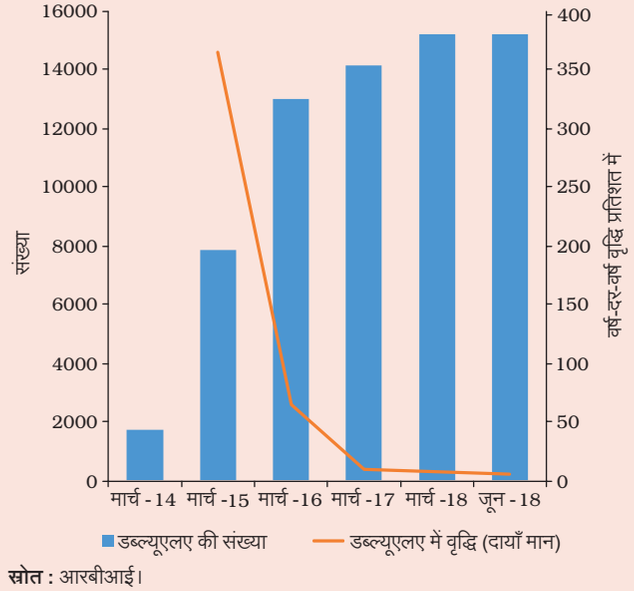

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.32: क्रेडिट और डेबिट कार्ड

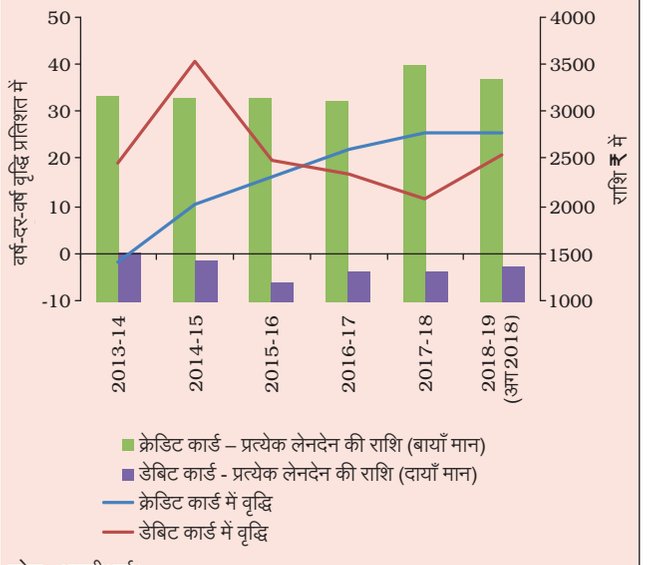

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट V.33: प्री-पेड भुगतान लिखतों में वृद्धि

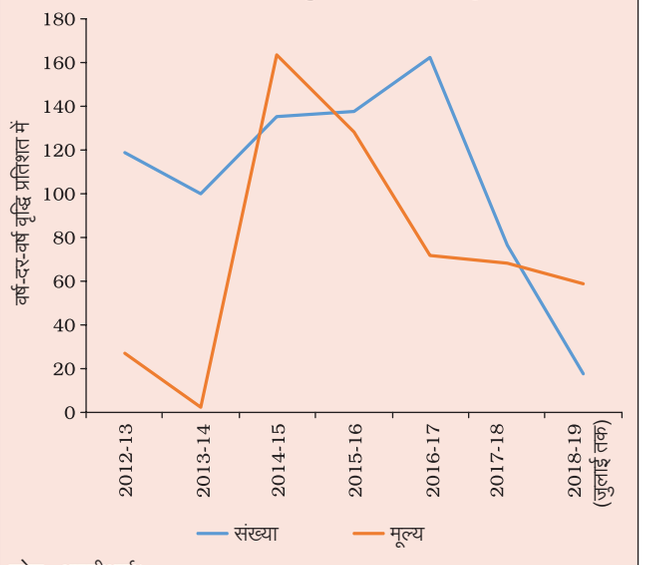

स्रोत : आरबीआई।

विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) में एक से अधिक बैंक खातों को जोड़ देता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, यूपीआई (भीम[10] और यूएसएसडी 2.0[11] सहित) के माध्यम से ₹1,098 बिलियन के 915 मिलियन लेनदेन हुए, जो 2018-19 की पहली छमाही में बढ़कर ₹2,670 बिलियन राशि के 1,579 मिलियन लेनदेन तक पहुंच गए।

10. उपभोक्ता संरक्षण

IV.80 ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार, पारदर्शिता, उत्पाद उपयुक्तता, गोपनीयता और शिकायत निवारण बैंक ग्राहकों के संरक्षण के प्रति रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। एक ऐसे माहौल में जहां प्रौद्योगिकी से युक्त बैंकिंग ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पहली बार उपयोग करने वाले अनेक ग्राहकों तक तेजी से पहुंच गई है, वहां वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता का महत्व अधिक बढ़ जाता है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों की स्थापना की गई है।

IV.81 वर्ष 2017-18 के दौरान बीओ कार्यालयों में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 27 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष के 92 प्रतिशत की तुलना में मौजूदा वर्ष में 97 प्रतिशत शिकायतों का निपटान किया गया; जो कि इन कार्यालयों की कार्यकुशलता में वृद्धि दर्शाता है। उपभोक्ता शिकायतों की बढ़ती संख्या के प्रतिसाद में वर्ष 2017-18 में रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बीओ का दूसरा कार्यालय खोला गया जिससे देश में बीओ कार्यालयों की संख्या

[10] भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) एक ऐप है जो किसी व्यक्ति को यूपीआई का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित भुगतान वाले लेनदेन करने की सुविधा देता है। ग्राहक तत्काल एक बैंक से दूसरे बैंक को भुगतान कर सकता है और केवल मोबाइल नंबर या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आईडी (यूपीआई आईडी) का उपयोग करके पैसे भेज एवं प्राप्त कर सकता है।

[11] यूपीआई अब गैर-इंटरनेट आधारित मोबाइल डिवाइस (स्मार्टफोन के साथ-साथ बेसिक फोन) के लिए भी डायलिंग विकल्प (* 99 #) के रूप में उपलब्ध है और इसे यूएसएसडी 2.0 के रूप में जाना जाता है। बैंकों के ग्राहक अपने मोबाइल फोन पर * 99 # डायल करके और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित एक संवादात्मक मेन्यू के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। * 99 # सेवा के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख सेवाओं में बहुत सारी अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अंतर-बैंक खातों से किसी खाते में निधि भेजना एवं प्राप्त करना, जमाशेष के बारे में पूछताछ, यूपीआई पिन सेटिंग बदलना आदि शामिल हैं।

21 हो गई। सभी बीओ कार्यालयों में प्राप्त कुल शिकायतों में से 57 प्रतिशत से अधिक शिकायतें टिअर 1 शहरों (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद) में स्थित बीओ कार्यालयों में प्राप्त हुई।

IV.82 हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ महानगरीय और अर्ध-शहरी केंद्रों से दर्ज होने वाली शिकायतों के उच्च अनुपात का मुख्य कारण बैंक के ग्राहकों में शिकायत निवारण प्रणाली के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता और बैंको में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की क्षमता वांछित स्तर पर नहीं होना हैं (चार्ट IV.34)।

IV.83 वर्ष के दौरान, उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना बैंकों के खिलाफ प्रमुख शिकायत रही, इसके बाद एटीएम/ क्रेडिट/डेबिट कार्ड, प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाने और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतें प्रमुख थीं (सारणी IV.24)।

IV.84 बैंक समूहवार, अधिकांश पेंशन संबंधी शिकायतें और एटीएम / डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें पीएसबी के खिलाफ थीं। दूसरी तरफ, सीधी बिक्री एजेंटों (डीएसए), वसूली एजेंटों एवं क्रेडिट कार्ड के मामले में निर्देशों का पालन न करने से संबंधित 50% से अधिक शिकायतें पीवीबी के खिलाफ दर्ज की गई थीं (चार्ट IV.35 और परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.24: बीओ में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति

(शिकायतों की संख्या)

	2016-17@	2017-18@
जमा खाता	7,190	6,719
विप्रेषण	3,287	3,330
क्रेडिट कार्ड	8,297	12,647
ऋण और अग्रिम	5,559	6,226
बिना पूर्व नोटिस के प्रभार	7,273	8,209
पेंशन	8,506	7,833
प्रतिबद्धता में नाकामी	8,911	11,044
वसूली एजेंट	330	554
नोट और सिक्के	333	1,282
उचित व्यवहार	31,769	36,146
बीसीएसबीआई	3,699	3,962
विषयेतर	6,230	5,681
एटीएम/डेबिट कार्ड	16,434	24,672
मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग*	-	8,487
पैराबैंकिंग*	-	579
अन्य	23,169	26,219
कुल	**130,987**	**163,590**

टिप्पणी : * : 01 जुलाई 2017 से नए विषय/आधार शामिल.
@: आंकड़े जुलाई-जून से संबंधित हैं.
स्रोत : बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय .

चार्ट IV.34: बीओ में प्राप्त जनसंख्या समूह-वार शिकायतें

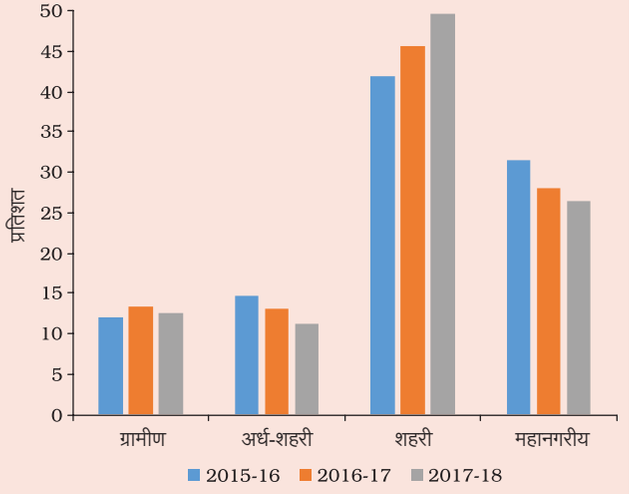

टिप्पणी : आंकड़े जुलाई-जून से संबंधित हैं।
स्रोत : बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

चार्ट IV.35: शिकायतों के प्रमुख प्रकारों का बैंक समूह-वार ब्यौरा : 2017-18

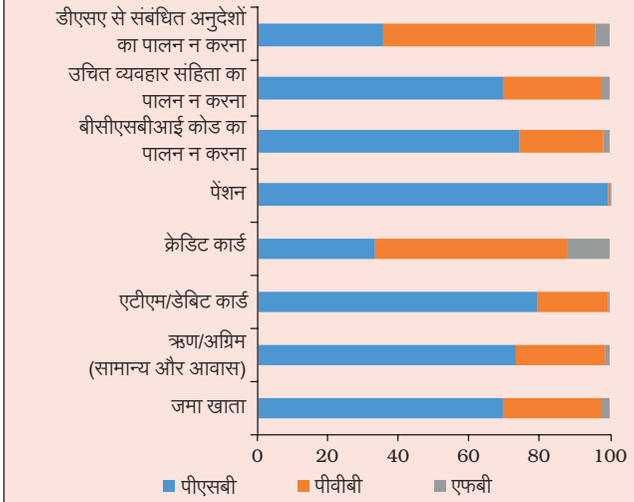

टिप्पणी : डेटा जुलाई-जून से संबंधित है.
स्रोत : बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय.

11. वित्तीय समावेशन

IV.85 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वयस्कों के लिए खाता खोलने के अभियान के तहत वित्तीय संस्थाओं में खाता खोलकर औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल होने वाले व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 2011 की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया है और वर्ष 2017 तक भारतीय आबादी के 80 प्रतिशत तक इसकी पहुंच हो गई थी जो चीन के साथ तुलना योग्य तथा अन्य ब्रिक्स समकक्षों से बेहतर है (चार्ट IV.36)।

IV.86 स्थायी और समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2010 से बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) के माध्यम से उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता के साथ एक सुगठित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में, एफआईपी (2016-19) का तीसरा चरण लागू किया रहा है जिसके अंतर्गत बैंकों को विभिन्न मानदंडों के तहत की गई प्रगति पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

IV.87 वर्ष 2017-18 के दौरान, वित्तीय समावेशन के निकटस्थ संकेतकों द्वारा एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत की गई।

चार्ट IV.36: चुनिंदा उभरती हुई और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन की प्रगति

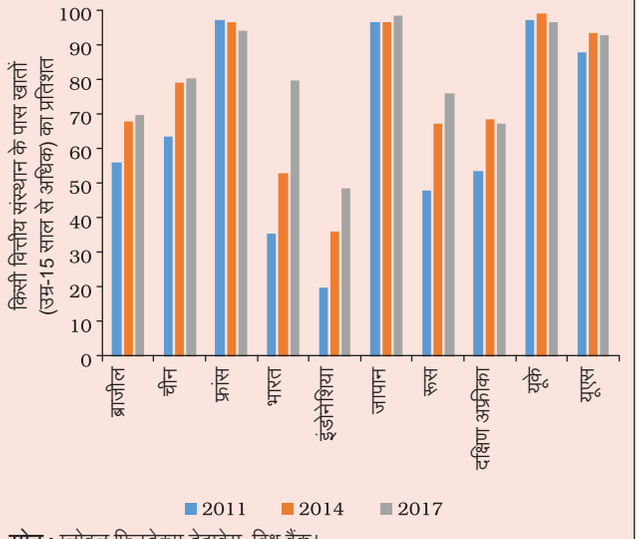

स्रोत : ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस, विश्व बैंक।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मोड और पारंपरिक शाखाओं की संख्या में कमी आई। जो आंशिक रूप से बैंकों द्वारा अव्यवहार्य और एक दूसरे के बहुत नजदीक स्थित शाखाओं को बंद कर शाखाओं को युक्तिसंगत बनाने कारण थी इसके अलावा, कुछ बैंक कॉर्पोरेट बीसी से कार्य-निष्पादन न किए जाने के कारण अलग हो गए। साथ ही, प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के प्रदाताओं के बीसी फोल्ड में आमेलित होने के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में बीसी की संख्या में वृद्धि हुई।

IV.88 शाखाओं के माध्यम से खोले गए मूलभूत बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) की संख्या में कमी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इसके सहयोगी बैंकों के विलय के कारण हुए समेकन को आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा, शाखा प्राधिकरण नीति के तहत बैंकिंग आउटलेट के रूप में बीसी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे और सप्ताह में कम से कम 5 दिनों के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का निर्धारण किया गया है। इससे बीसी के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या में भारी वृद्धि हुई जो आईसीटी आधारित बैंकिंग सेवाओं में भी सुदृढ़ संवृद्धि ला रहे हैं (सारणी IV.25)।

11.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना

IV.89 अगस्त 2014 में प्रारंभ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को दो चरणों में लागू किया गया है – पहला चरण (15 अगस्त, 2014 - 14 अगस्त, 2015) और दूसरा चरण (15 अगस्त, 2015 - 14 अगस्त, 2018)। पहले चरण का लक्ष्य बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, बचत एवं विप्रेषण के लिए मूलभूत बैंकिंग खाते उपलब्ध कराना तथा रुपे डेबिट कार्ड पर ₹100,000 का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना था। दूसरे चरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, ₹5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ओवरड्राफ्ट खातों में चूक के कवरेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण करना और सूक्ष्म-बीमा एवं असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन जैसी पेंशन योजना की शुरुआत करना शामिल हैं। सितंबर 2018 में, पीएमजेडीवाई को नई सुविधाओं यथा "प्रत्येक परिवार से प्रत्येक वयस्क" के लिए खाते खोलना;

सारणी IV.25: सभी एससीबी में वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रगति (आरआरबी सहित)

क्र. सं	विवरण	मार्च-10	मार्च-18	जून-18	प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि (2016-17)	प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि (2017-18)
1	ग्रामीण स्थानों पर बैंकिंग आउटलेट – शाखाएं	33,378	50,860	50,805	-1.9	-0.1
2	ग्रामीण स्थानों पर बैंकिंग आउटलेट – शाखारहित मोड	34,316	547,233	518,742	2.4	-5.2
3	ग्रामीण स्थानों पर बैंकिंग आउटलेट – कुल	67,694	598,093	569,547	2.0	-4.8
4	बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी स्थान	447	102,865	142,959	0.3	39.0
5	बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (सं. मिलियन में)	60	254	247	6.7	-2.8
6	बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (राशि बिलियन में)	44	691	731	45.8	5.8
7	बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (सं. मिलियन में)	13	280	289	21.2	3.2
8	बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (राशि बिलियन में)	11	285	391	73.8	37.2
9	बीएसबीडीए – कुल (सं. मिलियन में)	74	533	536	13.6	0.6
10	बीएसबीडीए – कुल (राशि बिलियन में)	55	977	1,121	53.1	14.7
11	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (सं. मिलियन में)	0	9	6	0.0	-33.3
12	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि बिलियन में)	0	17	4	-41.4	-76.5
13	केसीसी - कुल (सं. मिलियन में)	24	46	46	-2.1	0.0
14	केसीसी - कुल (राशि बिलियन में)	1,240	5,805	6,096	13.1	5.0
15	जीसीसी - कुल (सं. मिलियन में)	1	13	12	18.2	-7.7
16	जीसीसी - कुल (राशि बिलियन में)	35	2,117	1,498	41.8	-29.2
17	आईसीटी-ए/सी-बीसी- लेनदेनों की कुल संख्या (मिलियन में)	27	1,159	1,489	40.1	28.5
18	आईसीटी-ए/सी-बीसी- लेनदेनों की कुल संख्या (बिलियन में)	7	2,652	4,292	57.2	61.8

टिप्पणी : क्रम सं 1-16 में संचयी डेटा प्रारंभ से शामिल है. क्रम सं. 17-18 तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : आरबीआई।

ओवरड्राफ्ट की सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 करना; बिना किसी शर्त के ₹2,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना; तथा 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों से जुड़े नए रुपे कार्ड धारकों के लिए आकस्मिक बीमा कवर को ₹100,000 से बढ़ाकर ₹200,000 करना, के साथ 14 अगस्त, 2018 के बाद भी जारी रखा गया है।

IV.90 चार साल की अवधि के भीतर, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों की कुल संख्या बढ़कर 28 सितंबर, 2018 को 328 मिलियन हो गई, जिनकी जमाराशि ₹851 बिलियन थी। इनमें से 59.1 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित शाखाओं में खोले गए (चार्ट IV.37ए)। तथापि, इन खातों के उपयोग के अनुसार औसत शेषराशि के मामले में प्रारंभिक तेजी वर्ष 2017-18 के दौरान धीमी हुई।

चार्ट IV.37: पीएमजेडीवाई खाते - औसत जमाशेष एवं वितरण

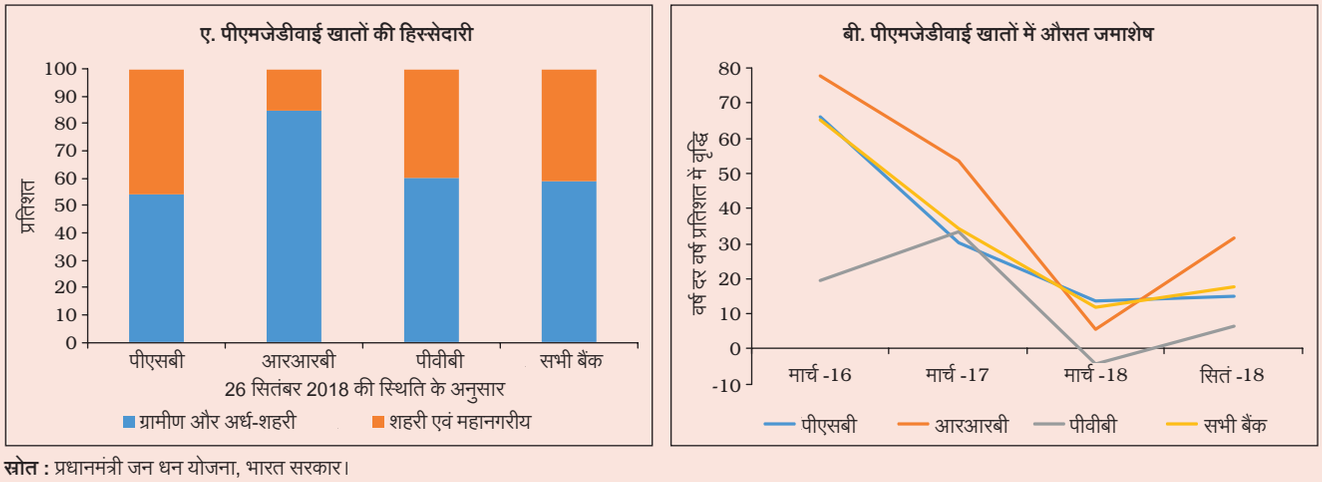

स्रोत : प्रधानमंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

पीवीबी के जन धन खातों की औसत शेषराशि में संकुचन हुआ। हालांकि, वर्ष 2018-19 (28 सितंबर तक) के दौरान इन खातों के उपयोग में सुधार हो रहा है (चार्ट IV.37बी)। इन खातों (सभी एससीबी को मिलाकर) में से केवल 23 प्रतिशत (अगस्त 2018 तक) खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करते हैं।

11.2 नई बैंक शाखाएं

IV.91 नई बैंक शाखाएं खोलना नए ग्राहकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करके वित्तीय समावेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, नई शाखाएं खोलने के मामले में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई क्योंकि अपने तुलन-पत्रों में अधिक दबाव वाले बैंकों ने शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया जिसमें व्यय को कम करने के लिए बीसी की तरफ रुख करना शामिल है। वर्ष के दौरान, टिअर-2, टिअर-3 और टिअर-4 केंद्रों ने परंपरागत शाखाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जो इन केंद्रों की उच्च वृद्धि क्षमता को दर्शाता है (सारणी IV.26)।

सारणी IV.26: एससीबी की नयी खोली गयी बैंक शाखाओं का टिअर-वार विवरण

टिअर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टिअर 1	3,092	3,216	2,302	1,594
	(35.3)	(35.5)	(43.3)	(40.3)
टिअर 2	605	701	364	342
	(6.9)	(7.7)	(6.8)	(8.6)
टिअर 3	1,041	1,202	643	595
	(11.8)	(13.2)	(12.1)	(15.1)
टिअर 4	747	792	427	350
	(8.5)	(8.7)	(8.0)	(8.8)
टिअर 5	835	920	655	441
	(9.5)	(10.1)	(12.3)	(11.1)
टिअर 6	2,429	2,207	915	626
	(27.7)	(24.4)	(17.2)	(15.8)
कुल	**8,749**	**9,038**	**5,306**	**3,948**
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

टिप्पणियां : 1. केंद्रों का टिअरवार वर्गीकरण निम्नानुसार है: 'टिअर 1' में 100,000 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं,'टिअर 2' में 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं,'टिअर 3' में 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं,'टिअर 4' में 10,000 से 19,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं,'टिअर 5' में 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं तथा 'टिअर 6' में 5,000 से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।
2. जनसंख्या के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
3. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।

स्रोत : मास्टर ऑफिस फाइल, आरबीआई।

11.3 एटीएम का वितरण

IV.92 हालांकि एटीएम के विस्तार से बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी है और इस प्रकार वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिला है, किंतु इसका झुकाव शहरी और महानगरीय केंद्रों के प्रति रहा, जहाँ एटीएम की कुल संख्या का 56 प्रतिशत स्थित है। वर्ष 2017-18 के दौरान, शहरी और महानगरीय, दोनों केंद्रों में इनकी संख्या में कमी आई है जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में उनकी पहुंच में मामूली वृद्धि हुई है। विभिन्न जनसंख्या केंद्रों में सरकारी बैंकों के एटीएम का वितरण समान है, किंतु निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का संकेंद्रण शहरी और महानगरीय केंद्रों में रहा, और यही पैटर्न 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान जारी रहे (सारणी IV.27)।

11.4 सूक्ष्म वित्तीयन कार्यक्रम

IV.93 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किए गए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम में छोटे समूहों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के उद्देश्य से उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने हेतु उनको सामूहिक रूप से सूक्ष्म-ऋण प्रदान करना

सारणी IV.27: विभिन्न केंद्रों पर एससीबी के एटीएम की संख्या

(मार्च-2018 की समाप्ति पर)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	29,628	42,374	41,254	32,531	145,787
	(20.3)	(29.1)	(28.3)	(22.3)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	4,845	14,464	15,747	25,089	60,145
	(8.1)	(24.0)	(26.2)	(41.7)	(100.0)
विदेशी बैंक	17	17	172	733	939
	(1.8)	(1.8)	(18.3)	(78.1)	(100.0)
कुल	**34,490**	**56,855**	**57,173**	**58,353**	**206,871**
	(16.7)	**(27.5)**	**(27.6)**	**(28.2)**	**(100.0)**
पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि	**0.9**	**1.7**	**-2.2**	**-2.2**	**-0.6**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दी गई संख्याएं प्रत्येक बैंक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाती हैं।
2. एटीएम की कुल संख्या सारणी IV.23 में दी गई संख्या से भिन्न है क्योंकि बाद की सारणी में एसबीआई के विदेश में स्थित 181 एटीएम शामिल हैं जिन्हें इस सारणी में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : आरबीआई।

शामिल है। वित्तीय समावेशन के जरिए गरीबी उन्मूलन के लिए यह मुख्य मध्यस्थ साबित हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 2.3 मिलियन नए एसएचजी बैंकों के साथ ऋण सहबद्ध किए गए, और इन एसएचजी को ₹472 बिलियन के ऋण (पुनः ऋण सहित) वितरित किए गए थे। औसतन, प्रति एसएचजी बचत की राशि और प्रति एसएचजी ऋण की राशि क्रमशः ₹22,405 और ₹208,683 थी।

IV.94 इन ऋणों में एनपीए अनुपात 6.1 प्रतिशत था, जो एससीबी के वैयक्तिक ऋणों में होने वाली ऋण चूक से अधिक है। वर्ष के दौरान, यद्यपि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) द्वारा वितरित ऋणों की संख्या में कमी हुई फिर भी एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की तुलना में इसके तहत वितरित की गई राशि में अधिक वृद्धि हुई (सारणी IV.28)।

11.5 उधारी की प्रवृत्ति

IV.95 नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस), 2016-17 से यह स्पष्ट होता है कि 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 के दौरान ग्रामीण परिवारों द्वारा ऋण लिए जाने का सबसे ज्यादा अनुपात दक्षिणी क्षेत्र में था जिसमें आंध्र प्रदेश (76 प्रतिशत), तेलंगाना (74 प्रतिशत) और कर्नाटक (70 प्रतिशत) शामिल हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि इन राज्यों में बैंकिंग की पहुंच विशेष रूप से एसएचजी और एमएफआई के माध्यम से अधिक है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश (62 प्रतिशत) और मणिपुर (60 प्रतिशत) के ग्रामीण परिवारों के द्वारा भी अखिल भारतीय औसत से अधिक अनुपात में ऋण लेना रिपोर्ट किया गया है।

IV.96 वित्तीय समावेशन को महत्व देने वाली नीति की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों से ऋण की पहुंच में विस्तार हुआ और यह 2013 में 56.0 प्रतिशत (अखिल भारतीय कर्ज और निवेश सर्वेक्षण) के मुकाबले 2015-16[12] के दौरान 69.1 प्रतिशत हो गया (एनएएफआईएस 2016-17)। गैर-संस्थागत स्रोतों के भीतर साहूकारों के वर्चस्व में उल्लेखनीय गिरावट स्पष्ट है। एनएएफआईएस 2016-17 के अनुसार, अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए गैर-कृषि परिवारों (63.8 प्रतिशत) की

सारणी IV.28: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों में हुई प्रगति
(मार्च की समाप्ति पर स्थिति)

मद	स्वयं-सहायता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (₹ बिलियन)			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	1.6	1.8	1.9	2.3	276	373	388	472
	(0.7)	(0.9)	(1.0)	(1.4)	(114)	(194)	(200)	(275)
बैंकों का बकाया ऋण	4.5	4.7	4.8	5.0	515	572	616	756
	(2.2)	(2.5)	(2.8)	(3.1)	(232)	(306)	(341)	(436)
बैंकों में बचत	7.7	7.9	8.6	8.7	111	137	161	196
	(3.4)	(3.9)	(4.3)	(4.6)	(55)	(73)	(87)	(118)
	सूक्ष्म वित्त संस्थान							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (₹ बिलियन)			
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	597	647	2,314	1,922	147	208	193	255
बैंकों में बकाया ऋण	4,660	2,020	5,357	5,073	219	256	292	323
	संयुक्त देयता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (₹ बिलियन)			
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	0.5	0.6	0.7	1.0	44	62	95	140

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दी गई संख्याएं क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत आने वाले स्वयं-सहायता समूहों के विवरण दर्शाती हैं। विगत वर्षों से संबंधित कोष्ठकों में दी गई संख्याएं सिर्फ एनआरएलएम/स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयरोजगार योजना (एसजीएसवाई) समूहों के आंकड़े दर्शाती हैं।
2. बैंकों से ऋण लेने वाली एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम होगी, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से बहुत बार ऋण लेती हैं और एक से अधिक बैंकों से भी ऋण लेती हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

[12] 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 के दौरान।

तुलना में कृषि परिवार (74.5 प्रतिशत) संस्थागत स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर थे।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.97 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े तबकों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु सहकारी ऋण बैंकों और वाणिज्य बैंकों की सकारात्मक विशेषताओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से 1975 में की गई थी। उनका विनियमन रिज़र्व बैंक तथा पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है। मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार 56 बैंकों की 21,747 शाखाओं के नेटवर्क का लाभ उठाने और वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 में आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को मंजूरी दी, जिसे 2012-13 और 2015-16 में दो बार बढ़ाया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान, आरआरबी को ₹11 बिलियन उपलब्ध कराते हुए पुनर्पूंजीकरण योजना को 2019-20 तक फिर से बढ़ाया गया।

सारणी IV.29: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	मार्च-अंत में		वर्ष दर वर्ष वृद्धि का प्रतिशत	
		2017	2018अ	2016-17	2017-18अ
1	शेयर पूंजी	64	64	-	-
2	आरक्षित निधियां	231	253	11.6	9.5
3	टिअर II बॉन्ड	2	0	100.0	-
4	जमा राशियां	3,719	4,005	18.6	7.7
	4.1 चालू	107	103	20.2	-3.7
	4.2 बचत	1,881	2,010	27.1	6.9
	4.3 मीयादी	1,731	1,892	10.5	9.3
5	उधारियां	516	626	7.7	21.3
	5.1 नाबार्ड से	405	456	1.5	12.6
	5.2 प्रायोजक बैंक	94	103	64.9	9.6
	5.3 अन्य	17	67	-22.7	294.1
6	अन्य देयताएं	128	248	4.1	93.8
	कुल देयताएं/आस्तियां	**4,660**	**5,196**	**16.2**	**11.5**
7	उपलब्ध नगदी	28	28	3.7	0.0
8	भा.रि.बैं. में जमा शेष राशि	150	158	21.0	5.3
9	अन्य बैंकों में जमा शेष राशि	65	54	41.3	-16.9
10	निवेश	2,110	2,210	24.4	4.7
11	ऋण एवं अग्रिम (निवल)	2,115	2,518	8.4	19.1
12	स्थायी आस्तियां	11	12	0.0	9.1
13	अन्य आस्तियां #	181	216	19.1	19.3

टिप्पणियां : 1. अ: अनंतिम।
2. #: संचित हानियां शामिल हैं।
3. -: शून्य/नगण्य

स्रोत : नाबार्ड।

12.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्र का विश्लेषण

IV.98 वर्ष के दौरान आरआरबी के समेकित तुलन-पत्र में विस्तार दिखाई दिया। देयता पक्ष में, विमुद्रीकरण प्रभाव कम होने पर जमा संवृद्धि में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप निधि जुटाने के लिए आरआरबी का झुकाव उधारियों की ओर हो गया। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिमों में उछाल आया था जबकि निवेश कम हो गया था (सारणी IV.29)।

IV.99 मार्च 2018 के अंत तक, आरआरबी के ऋण संविभाग में 90 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का है, जिसमें 76.1 प्रतिशत कृषि का हिस्सा है और उसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (14.0 प्रतिशत) का है। गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों में निचले स्तर से उछाल आया है (सारणी IV.30)।

12.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

IV.100 आरआरबी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने से सीआरएआर में कमी आई है। मुख्यतः आस्ति गुणवत्ता

सारणी IV.30: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(मार्च अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	उद्देश्य	राशि		वर्ष दर वर्ष वृद्धि का प्रतिशत	
		2017	2018अ	2016-17	2017-18अ
1	2	3	4	5	6
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**2,033**	**2,285**	**14.3**	**12.4**
	कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	89.9	90.0	4.4	0.1
	i. कृषि	1,526	1,739	15.9	14.0
	ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	292	319	15.9	9.2
	iii. शिक्षा	27	28	3.8	3.7
	vi. आवास	145	155	9.8	6.9
	v. अन्य	43	43	-17.3	0.0
II	**गैर-प्राथमिकता (i से vi)**	**229**	**242**	**-19.9**	**5.7**
	कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	10.1	10.0	-27.3	-1.0
	i. कृषि	0.1	0.2	-90.0	100.0
	ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	14	2.6	16.7	-81.4
	iii. शिक्षा	0.4	0.4	-	-
	iv. आवास	15	23	36.4	53.3
	v. वैयक्तिक ऋण	89	63	20.3	-29.2
	vi. अन्य	111	153	-41.3	37.8
कुल (I+II)		**2,262**	**2,527**	**9.5**	**11.7**

टिप्पणि : अ: अनंतिम।
स्रोत : नाबार्ड।

में गिरावट के कारण प्रावधान बढ़ने और परिचालन खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 में निवल लाभ में गिरावट दर्ज की गई (सारणी IV.31)।

13. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.101 अप्रैल 2016 से कैपिटल लोकल एरिया बैंक के लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में तब्दील होने के बाद, मार्च 2018 के अंत तक ₹8.2 बिलियन की कुल आस्ति वाले केवल तीन स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) परिचालन में हैं। एलएबी का ऋण-जमा अनुपात 78.5 प्रतिशत है जो आरआरबी (62.9 प्रतिशत) से अधिक है। इससे पता चलता है कि उनका जोर वित्तीय

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	राशि		वर्ष दर वर्ष वृद्धि का प्रतिशत	
		2016-17	2017-18अ	2016-17	2017-18अ
1	2	3	4	5	6
ए.	**आय (i + ii)**	**392**	**421**	**10.7**	**7.4**
	i. ब्याज से होने वाली आय	359	385	7.8	7.2
	ii. अन्य आय	33	36	57.1	9.1
बी.	**व्यय (i+ii+iii)**	**370**	**401**	**10.8**	**8.4**
	i. खर्च की गई ब्याज राशि	234	238	7.8	1.7
	ii. परिचालनगत व्यय	104	116	7.2	11.5
	जिसमें से, वेतन बिल	68	69	-1.5	1.5
	iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	32	47	52.4	46.9
सी.	**लाभ**				
	i. परिचालनगत लाभ	60	79	172.7	31.7
	ii. निवल लाभ	22	20	10	-9.1
डी.	**कुल औसत आस्तियां**	**4,341**	**4,577**	**14**	**5.4**
ई.	**वित्तीय अनुपात #**				
	i. परिचालनगत लाभ	1.4	1.7		
	ii. निवल लाभ	0.5	0.4		
	iii. आय (ए + बी)	9.0	9.2		
	(ए) ब्याज से होने वाली आय	8.3	8.4		
	(बी) अन्य आय	0.8	0.8		
	iv व्यय (ए+बी+सी)	8.5	8.8		
	(ए) खर्च की गई ब्याज राशि	5.4	5.2		
	(बी) परिचालनगत व्यय	2.4	2.5		
	जिसमें से, मजदूरी बिल	1.6	1.5		
	(सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.7	1.0		
एफ.	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**				
	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	8.1	9.1		
	सीआरएआर	13.0	12.4		

टिप्पणियां : 1. अ - अनंतिम।
2. # वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता को दर्शाते हैं।
3. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV. 32: स्थानीय क्षेत्र बैंकों की प्रोफाइल

(मार्च के अंत की स्थिती के अनुसार)

(राशि ₹ बिलियन में)

	2016-17	2017-18
आस्तियां	7.8	8.2
जमाराशियां	6.4	6.5
सकल अग्रिम	4.7	5.1

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

वाहक की भूमिका निभाने पर है, न कि केवल बचत का केंद्र बन जाने पर (सारणी IV.32)।

13.1 एलएबी का वित्तीय निष्पादन

IV.102 वर्ष 2017-18 के दौरान, एलएबी की ब्याज आय में वृद्धि मामूली थी जबकि ब्याज खर्च में गिरावट हुई थी। अन्य आय में मजबूत वृद्धि बनी रहने से एलएबी ने लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	राशि		वर्ष दर वर्ष वृद्धि का प्रतिशत	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
1. आय (i+ii)	**1,060**	**1,158**	**10.7**	**9.2**
i) ब्याज से होने वाली आय	873	898	6.7	3.2
ii) अन्य आय	187	260	33.9	36.7
2. व्यय (i+ii+iii)	**937**	**981**	**12.0**	**4.4**
i) खर्च की गई ब्याज राशि	457	420	12.3	-8.8
ii) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	82	92	-3.1	15.4
iii) परिचालनगत व्यय	397	469	15.3	17.3
जिसमें से, वेतन बिल	179	200	7.4	10.9
3. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ/हानि	206	269	5.0	28.1
ii) निवल लाभ/हानि	123	177	1.2	47.2
4. ब्याज से होने वाली निवल आय	**415**	**478**	**1.7**	**16.6**
5. कुल आस्तियां	**7,862**	**8,173**	**11.6**	**4.3**
6. वित्तीय अनुपात @				
i) परिचालनगत लाभ	2.7	3.3		
ii) निवल लाभ	1.5	2.2		
iii) आय	13.5	14.1		
iv) ब्याज से होने वाली आय	11.1	11.0		
v) अन्य आय	2.4	3.2		
vi) व्यय	12.0	12.0		
vii) खर्च की गई ब्याज राशि	5.9	5.1		
viii) परिचालनगत व्यय	5.1	5.7		
ix) वेतन बिल	2.3	2.4		
x) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	1.0	1.1		
xi) ब्याज से प्राप्त होने वाली निवल आय	5.2	5.8		

टिप्पणी : @: 2016-17 और 2017-18 से संबंधित वित्तीय अनुपातों की गणना संबंधित वर्ष में आस्तियों के आधार पर की गई है.

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

14. लघु वित्त बैंक

IV.103 प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारों और असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों आदि जैसे ग्राहकों को सुविधा मुहैया कराते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) की स्थापना की गई है। मार्च 2018 के अंत तक, सभी दस एसएफबी ने परिचालन शुरू कर दिया था।

14.1 एसएफबी के तुलन-पत्र

IV.104 चूंकि दस एसएफबी में से नौ गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में परिचालन कर रहे थे, उधारियों पर उनकी पारंपरिक निर्भरता बरकरार थी। हालांकि अंतर-बैंक उधारियों से संबंधित विनियामक उच्चतम सीमा की शर्त एसएफबी पर लागू है। अपनी सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई) संबंधी पृष्ठभूमि को देखते हुए, उनका ऋण और अग्रिम कुल आस्तियों का 67 प्रतिशत था, जो अन्य एससीबी और आरआरबी की तुलना में काफी अधिक था और परिणामस्वरूप कुल आस्तियों में निवेश की हिस्सेदारी कम थी (सारणी IV.34)।

सारणी IV.34: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	मार्च-अंत 2017*	मार्च-अंत 2018**
1	2	3	4
1.	शेयर पूंजी	33.4	41.8
2.	आरक्षित निधियां	16.1	55.0
3.	टिअर II बॉण्ड	6.8	16.0
4.	जमाराशियां	49.6	264.7
	4.1 चालू	1.4	10.1
	4.2 बचत	12.1	45.3
	4.3 मीयादी	36.0	209.3
5.	उधारियां (टिअर II बॉण्ड सहित)	165.5	308.9
	5.1 बैंक	68.7	77.2
	5.2 अन्य	96.8	231.6
6.	अन्य देयताएं	11.7	29.2
	कुल देयताएं/आस्तियां	**276.3**	**699.5**
7.	उपलब्ध नगद राशि	1.6	3.2
8.	भा.रि.बैं. में धारित जमाशेष	6.8	18.6
9.	बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशेष	24.1	49.1
10	निवेश	60.3	131.5
11	ऋण एवं अग्रिम	168.2	467.6
12	स्थायी आस्तियां	5.5	15.2
13	अन्य आस्तियां	9.8	14.3

टिप्पणियां : * उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
** उन दस एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2018 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

14.2 एसएफबी का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

IV.105 मार्च 2018 के अंत में, एसएफबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया उधार उनके कुल ऋणों का 76.7 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम था। अपने अधिदेश के अनुरूप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एसएफबी का ध्यान बना रहा और इसके बाद कृषि पर। हालांकि, वर्ष 2017-18 के दौरान, इन बैंकों ने गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अपना एक्सपोजर बढ़ाया (सारणी IV.35)।

14.3 एसएफबी का वित्तीय निष्पादन

IV.106 वर्ष 2017-18 के दौरान, एसएफबी ने प्रावधान एवं कर पूर्व सकारात्मक अर्जन (ईबीपीटी) की रिपोर्ट किया, लेकिन एनपीए बढ़ जाने के कारण उच्च प्रावधानीकरण से निवल हानि दर्ज की गयी। इसका कारण एक एसएफबी द्वारा असाधारण उच्च निवल हानि दर्ज किया जाना हो सकता है जिससे अन्य एसएफबी द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज निवल लाभ पर पानी फिर गया (सारणी IV.36)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में, एसएफबी की रिपोर्टिंग में निवल हानि बनी रही।

सारणी IV.35: लधु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(हिस्सेदारी प्रतिशत में)

क्र. सं.	उद्देश्य	मार्च-अंत 2017*	मार्च-अंत 2018**
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**93.4**	**76.7*** **
	कुल बकाया ऋणों में प्रतिशत हिस्सेदारी		
	i. कृषि	25.7	20.1
	ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	34.2	31.0
	iii. शिक्षा	0.8	0.0
	iv. आवास	2.6	2.1
	v. अन्य	30.2	23.4
II	**गैर-प्राथमिकता**	6.6	23.3
कुल (I+II)		**100**	**100**

टिप्पणियां :* उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
** उन दस एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2018 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
*** प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों को संबंधित वर्षों के सकल अग्रिम से विभाजित करके गणना की गई।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.36: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	2016-17*	2017-18**
ए.	**आय (i + ii)**	**20.8**	**94.5**
	i. ब्याज से होने वाली आय	17.9	84.2
	ii. अन्य आय	2.9	10.4
बी.	**व्यय (i+ii+iii)**	**19.4**	**115.7**
	i. खर्च की गई ब्याज राशि	8.8	43.1
	ii. परिचालनगत व्यय	8.9	47.1
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	4.9	24.1
	iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	1.7	25.5
सी.	**लाभ**	**2.2**	**-20.2**
	i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	3.1	3.9
	ii. निवल लाभ (पीएटी)	1.4	-22.5
डी.	**कुल आस्तियां**	**276.3**	**699.5**
ई.	**वित्तीय अनुपात #**		
	i. परिचालनगत लाभ	1.1	0.6
	ii. निवल लाभ	0.5	-3.2
	iii. आय (क + ख)	7.5	13.5
	(ए) ब्याज से होने वाली आय	6.5	12.0
	(बी) अन्य आय	1	1.5
	iv. व्यय (क+ख+ग)	6.7	16.5
	(ए) खर्च की गई ब्याज राशि	3.2	6.2
	(बी) परिचालनगत व्यय	3.2	6.7
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	1.8	3.4
	(सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.3	3.6
एफ.	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**		
	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	1.8	8.7
	सीआरएआर	26.3	22.9

टिप्पणीयां : # कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में।
* उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
** उन दस एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2018 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

IV.107 एलएबी को छोड़कर अन्य बैंक समूहों की तुलना में एसएफबी का एनआईएम अधिक बना रहा (चार्ट IV.38)। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, सीआरएआर (22.1 प्रतिशत) सहित उनके जीएनपीए अनुपात (6.1 प्रतिशत) में थोड़ा सुधार हुआ। अब तक एसएफबी की संवृद्धि (जून 2018 के अंत तक) मुख्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उच्च जमा दर का प्रस्ताव देने की उनकी कार्यनीति की वजह से रही है। बेहतर सेवा उपलब्ध करवाना और आस्ति गुणवत्ता को मजबूत करते हुए भरोसा जुटाना इनके लिए एक चुनौती होगी और साथ ही यह भविष्य में उनकी सफलता की कुंजी भी रहेगी।

चार्ट IV.38: 2017-18 के दौरान बैंक-समूहों में निवल ब्याज मार्जिन

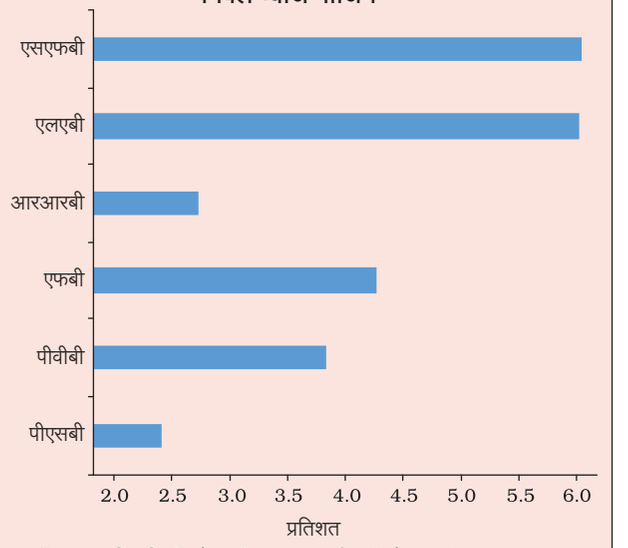

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई और नाबार्ड।

15. भुगतान बैंक

IV.108 रिज़र्व बैंक ने सात इकाइयों को भुगतान बैंक (पीबी) लाइसेंस जारी किया है, जिनमें से पांच पीबी मार्च 2018 के अंत तक परिचालन में थे एवं शेष दो भी नवंबर 2018 के अंत तक परिचालन में आ गये थे। पीबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु बचत खाते खोलकर वित्तीय समावेशन को सुधारने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना और प्रवासी मजदूरों, छोटे कारोबारों, निम्न आय वाले परिवारों और असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों को डिजिटल माध्यम का उपयोग करके भुगतान/ विप्रेषण सेवाएं मुहैया कराना है।

15.1 पीबी का तुलन-पत्र

IV.109 पिछले वर्ष की तुलना में जब दो परिचालनगत पीबी के लिए कुल पूंजी एवं आरक्षित निधियों की देयताओं में प्रमुख हिस्सेदारी थी, मार्च 2018 के अंत में परिचालनगत पांच पीबी की अन्य देयताएँ (जैसे पीपीआई में अव्ययित जमाशेष) और प्रावधान उनके तुलन-पत्रों के आधे से अधिक थे। तथापि, उस अवधि के दौरान जमाराशियों में हिस्सेदारी 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गयी हालांकि यह अब भी कम थी।

IV.110 पीबी की आस्ति संरचना उनके परिचालन को दर्शाती है क्योंकि पीबी को ऋण देने की अनुमति नहीं है और एसएलआर बनाए रखने के लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में मांग जमा शेष (डीडीबी) का 75 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक न्यूनतम निवेश बनाए रखना होता है। इसके अलावा, उन्हें मांग और मीयादी जमा में उनके डीडीबी का 25 प्रतिशत से अधिक अन्य एससीबी के साथ बनाए रखना अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आस्तियों में निवेश का हिस्सा 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 50.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.37)।

15.2 पीबी का वित्तीय निष्पादन

IV.111 पीबी का समेकित तुलन-पत्र वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान निवल हानि को दर्शाता है। यहां तक कि पीबी का प्रावधान और कर पूर्व अर्जन (ईबीपीटी) भी ऋणात्मक रहा, हालांकि निवल ब्याज आय में सुधार हुआ। आरंभिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में हुए बड़े पूंजी व्यय के कारण परिचालन व्यय अत्यधिक रहा जिसके कारण पीबी को हानि हुई (सारणी IV.38)। अपने अनोखे बैंकिंग उत्पादों को पेश करके अपने ग्राहक आधार को विस्तृत बनाने के कारण पीबी को लाभ-अलाभ की स्थिति में आने में समय लग सकता

सारणी IV.37: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	मार्च-अंत 2017	मार्च-अंत 2018
कुल पूंजी और आरक्षित निधियां	7,936	18,479
जमा राशियां	685	4,382
अन्य देयताएं और प्रावधान	3,318	26,055
कुल देयताएं/ आस्तियां	**11,939**	**48,916**
उपलब्ध नकद और आरबीआई में जमा शेष राशि	191	3,583
बैंकों और मुद्रा बाजार में जमा शेष राशि	7,629	12,426
निवेश	3,481	24,487
स्थायी आस्तियां	102	2,357
अन्य आस्तियां	535	6,063

टिप्पणी : मार्च 2017 के अंत और मार्च 2018 के अंत के ये आंकड़े क्रमशः दो तथा पांच पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों के आंकड़े तुलना योग्य नहीं है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.38: भुगतान बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.सं.	मद	2016-17	2017-18
ए	आय (i + ii)		
	i. ब्याज से होने वाली आय	314	1,756
	ii. अन्य आय	1,086	10,036
बी	व्यय		
	i. खर्च की गई ब्याज राशि	7	245
	ii. परिचालनगत व्यय	3,800	16,768
	iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	15	-56
	जिसमें से, जोखिम प्रावधान	4	-66
	कर प्रावधान	11	10
सी	निवल ब्याज आय (एआय-बीआय)	307	1,511
डी	लाभ		
	i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	-2,407	-5,221
	ii. निवल लाभ/हानि	-2,422	-5,165

टिप्पणी : वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अंत के ये आंकड़े क्रमशः दो तथा पांच पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों के आंकड़े तुलना योग्य नहीं है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

है। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान, पीबी[13] का परिचालन लाभ/निवल लाभ ऋणात्मक रहा।

IV.112 इसके साथ ही, एनआईएम और आय अनुपात की तुलना में लागत जैसे विविध कार्य-निष्पादन मैट्रिक्स के संदर्भ में पीबी के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, आरओए, आरओई और लाभ मार्जिन में दिखाई गई उनकी हानियां जारी रहीं। (सारणी IV.39)।

15.3 आवक और जावक विप्रेषण

IV.113 मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में, वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान बैंकों के कुल विप्रेषण कारोबार में सबसे बड़ा

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात

(मार्च के अंत की स्थिति)

मद	2017	2018
आस्तियों पर प्रतिलाभ	-25.2	-10.6
ईक्विटी पर प्रतिलाभ	-36.4	-22.4
कुल आस्तियों की तुलना में निवेश	29.2	50.1
निवल ब्याज मार्जिन	2.8	4.5
दक्षता (लागत-आय अनुपात)	272.7	142.2
कार्यशील पूंजी पर परिचालनगत लाभ	-25.1	-10.7
लाभ मार्जिन	-172.9	-43.8

टिप्पणी : मार्च 2017 के अंत और मार्च 2018 के अंत के ये आंकड़े क्रमशः दो तथा पांच पीबी से संबंधित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों के आंकड़े तुलना योग्य नहीं है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

[13] छह परिचालनरत पीबी के आंकड़ों पर आधारित।

सारणी IV.40: 2017-18 के दौरान भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण

(संख्या मिलियन में और राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. एनईएफटी	1 (0.1)	9,645 (3.2)	2 (0.2)	90,613 (18.2)
2. आरटीजीएस	-	20,098 (6.7)	-	31,737 (6.4)
3. आईएमपीएस	6 (0.4)	9,622 (3.2)	29 (3.6)	77,032 (15.5)
4. यूपीआई	200 (13.9)	16,484 (5.5)	213 (26.4)	23,432 (4.7)
5. ई-वॉलेट	1,232 (85.6)	243,368 (81.0)	559 (69.3)	26,5479 (53.4)
6. अन्य	0.4	1,134 (0.4)	4 (0.5)	9,223 (1.9)
कुल	**1,439 (100.0)**	**300,352 (100.0)**	**807 (100.0)**	**497,516 (100.0)**

टिप्पणी : 1. -: शून्य/नगण्य।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत रूप हैं।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

हिस्सा ई-वॉलेट के माध्यम से आवक और जावक विप्रेषण का था। दरअसल, मूल्य के संदर्भ में 81 प्रतिशत से अधिक आवक विप्रेषण ई-वॉलेट के माध्यम से हुआ था (सारणी IV.40)।

16. समग्र आकलन

IV.114 बैंकों की बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता वाले माहौल में, दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और पूंजी के साथ-साथ पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना वर्ष 2017-18 में रिज़र्व बैंक की प्राथमिकताओं के क्रम में ऊपर रहे तथा ये चिंताएं वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में जारी रहीं, तथापि इनमें कुछ सुधार देखा गया था। सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिफल की कमी और बाजार भाव पर हानि के कारण प्रावधानीकरण ने इन पर और दबाव डाला तथा इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने कुछ राहत देते हुए बैंकों को चार तिमाहियों में हानि को वितरित करने की अनुमति दे दी। अपनी पूंजी स्थिति में सुधार करने में बैंकों का कामयाब रहना तथा उनके द्वारा लीवरेज अनुपात एवं एलसीआर जैसे अन्य सुदृढ़ता संकेतकों को न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं के ऊपर बनाए रखना बैंकिंग क्षेत्र के क्रमश: सुदृढ़ होने को प्रमाणित करता है।

IV.115 हाल के वर्षों की जोखिम विमुखता की स्थिति से बैंक ऋण में सुधार हो रहा है तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों के प्रवाह के मामले में बैंक मध्यस्थता पुनः पूर्वावस्था प्राप्त कर रही है। तथापि, खुदरा ऋण जैसे कम दबावग्रस्त क्षेत्रों को नवीकृत फोकस के साथ उधार देने के प्रति बदलाव प्रक्रियाधीन हैं। कृषि श्रेत्र को दिए जाने वाले उधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे संभवत: इस क्षेत्र में बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता का पता चलता है। पीएमजेडीवाई के क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से प्रत्येक वयस्क तक विस्तार एवं वित्तीय समावेशन योजना के वर्तमान तीसरे चरण जैसी नीतिगत पहलों से समाज के वंचित वर्गों के औपचारिक वित्तीयकरण को और मजबूती मिलने की अपेक्षा है। इसके अलावा, कमजोर आरआरबी में पूंजी लगाने तथा अधिक संख्या में एसएफबी एवं पीबी के परिचालन में आ जाने से बैंकिंग सेवाओं की भौगोलिक पैठ में विस्तार की अपेक्षा है। ग्राहक सुरक्षा के मामले में, शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार, डिजिटल भुगतान के लिए नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत तथा बैंकिंग में साइबर सुरक्षा हेतु किए गए सुधारात्मक उपायों से अभी तक हुई प्रगति का लाभ उठाने की अपेक्षा है जिससे कि सभी भारतीय नागरिकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन को विस्तारित किया जा सके तथा कुशलता एवं किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके।

IV.116 भविष्य में, एनबीएफसी, बॉण्ड बाजार एवं फिनटेक कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद आशा है कि आईबीसी और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बनाए जा रहे फ्रेमवर्क के माध्यम से डूबंत ऋण संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा और इससे लेनदार- देनदार संबंधों में सुधार होगा। इस माहौल में, बदलते वित्तीय परिदृश्य में समावेशी विकास में सहयोग करने हेतु बैंकों को भविष्य के तुलन-पत्र दबाव से बचने के लिए अपने पूंजी आधार को बढ़ाने तथा अपनी ऋण निगरानी एवं जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।